UDAAN

cgtmse

आपके सपनों की उड़ान को दें पंख

सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्रेडिट
गारंटी निधि ट्रस्ट

19वां वार्षिक प्रतिवेदन 2018-2019

एमएसई की क्षमताओं का निर्वाध

देश में सूक्ष्म और लघु उद्यमों का आर्थिक और सामाजिक महत्व एक भली भांति स्वीकार किया गया तथ्य है। हालाँकि, इस क्षेत्र की वास्तविक क्षमता को उजागर करना केवल ऋण प्रवाह को सक्षम करने से ही संभव होगा।

ऐसे देश में जहां संपार्श्विक प्रतिभूति की कमी एमएसई के लिए एक चुनौती है, सीजीटीएमएसई संपार्श्विक मुक्त ऋण के सूत्रधार के रूप में, एमएसई की क्षमताओं में आने वाली चुनौतियों को दूर कर उनके सपनों को साकार करने के लिए पंख प्रदान करता है। सीजीटीएमएसई लाखों युवाओं के बैंक योग्य व्यवसायिक विचारों के रूपांतरण, उद्यमों के विकास को सक्षम करने, वित्तीय समावेशन को उत्प्रेरित करने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है।

आपके सपनों की
उड़ान को दें पंख

विषय-सूची

03
प्रेषण-पत्र

04
अध्यक्ष का संदेश

06
न्यासी मण्डल

07
एमएसई संवृद्धि की वाहक - ऋण गारंटियाँ

08
सीजीटीएमएसई - एमएसई संवृद्धि एवं नवाचार का एक साधन

09
सीजीटीएमएसई - ढांचा एवं मुख्य विशेषताएँ

10
प्रमुख नीतिगत पहलकदमियां

12
वित्त वर्ष 2019 की परिचालनगत झलकियाँ

13
वित्त वर्ष 2019 के कार्यनिष्पादन की झलकियाँ

19
सदस्य ऋणदात्री संस्थाओं से पारस्परिक विमर्श/प्रमुख कार्यक्रम

20
31वां एक्सिक सम्मेलन

22
वित्तीय विवरणियाँ

इस रिपोर्ट को ऑनलाइन देखने या कॉपी डाउनलोड करने के लिए, कृपया www.cgtmse.in पर लॉग ऑन करें

प्रेषण पत्र

सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्रेडिट गारंटी निधि ट्रस्ट
स्वावलंबन भवन सिडबी, 7 वां तल
सी-11, जी ब्लाक, बांद्रा कुर्ला काम्प्लेक्स
बांद्रा (पूर्व), मुंबई – 400051

जून 13, 2019

सेवा में
अपर सचिव एवं विकास आयुक्त (एमएसएमई)
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार
कार्यालय विकास आयुक्त (एमएसएमई)
निर्माण भवन, 7 वां तल, 'ए' विंग
मौलाना आजाद रोड,
नई दिल्ली – 110108

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक
प्रधान कार्यालय, सिडबी टॉवर, 15, अशोक मार्ग
लखनऊ – 226001

प्रिय महोदय ,
भारत सरकार और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, अवस्थापकों द्वारा निष्पादित ट्रस्ट की घोषणा के खंड 14.2 के निबन्धनानुसार, मैं निम्नलिखित दस्तावेज़ एतदद्वारा अग्रेषित कर रहा हूँ।

(i) 31 मार्च 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष से संबंधित ट्रस्ट के लेखापरीक्षित लेखा एवं लेखापरीक्षा रिपोर्ट की प्रति और

(ii) 31 मार्च 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए सूक्ष्म लघु उद्यम निधि ट्रस्ट के कार्यकलापों पर रिपोर्ट की एक प्रति

भवदीय,
हस्ता/-

स्थान: मुंबई

मुख्य कार्यपालक अधिकारी

अध्यक्ष का संदेश

मैं खुशी और गर्व के साथ रिपोर्ट करता हूं कि सीजीटीएमएसई के इतिहास में वित्त वर्ष 2019, कार्य निष्पादन और एमएसएमई क्षेत्र तक पहुँच के संदर्भ में महत्वपूर्ण वर्ष रहा है। पिछले वित्त वर्ष की तुलना में वित्त वर्ष 2019 में क्रेडिट गारंटी योजना के तहत कवरेज ने एक और उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की। इस वर्ष कुल ₹30,168 करोड़ ऋण राशियों की गारंटियाँ स्वीकृत हुईं और इसमें पिछले वर्ष की तुलना में 58% की वृद्धि दर्ज की गई। सीजीटीएमएसई की स्थापना के बाद से दर्ज की गई अब तक की सबसे अधिक गारंटियाँ अनुमोदित हुईं। वित्त वर्ष 2019 के दौरान अनुमोदित गारंटी की संख्या वित्त वर्ष 2018 में 2.63 लाख से बढ़कर 4.36 लाख हो गई। इस प्रकार इसमें 66% की वृद्धि दर्ज की गई।

गैर बैंकिंग वित्त कंपनियों को शामिल कर सदस्य ऋणदात्री संस्थाओं के आधार को बढ़ाया गया, जिससे एमएसई क्षेत्र में इसकी पहुंच और बढ़ी है। यह खुशी की बात है कि वित्त वर्ष 2019 के दौरान गैर बैंकिंग वित्त कंपनियों ने ₹5,964 करोड़ की गारंटियां लीं।

वर्ष के दौरान, सीजीटीएमएसई ने दो नए उत्पादों की शुरुआत की। खुदरा व्यापार ऋण के लिए गारंटी कवर और हाइब्रिड/आंशिक प्रतिभूति के लिए कवर। परिचालन के पहले वर्ष में इन उत्पादों के तहत गारंटियों में महत्वपूर्ण बढ़त हुई और ₹2,931 करोड़ की गारंटियाँ अनुमोदित हुईं।

वर्ष के दौरान ट्रस्ट को उदयपुर में 31 वें एशियन क्रेडिट सप्लीमेंटेशन इंस्टीट्यूशंस कनफेडरेशन (ACSIC) सम्मेलन की मेजबानी करने का सौभाग्य मिला, जिसमें 9 देशों के 13 क्रेडिट गारंटी संस्थानों के 100 से अधिक प्रतिनिधियों ने प्रतिभागिता की। पूरे एशिया में क्रेडिट गारंटी संगठनों के सर्वोत्तम अभ्यासों का अध्ययन करने और उन्हें अपनाने के इरादे से आयोजित, इस कार्यक्रम में 'क्रेडिट गारंटी: ए व्हीकल फॉर इनक्लूसिव ग्रोथ' की थीम पर विचार-विमर्श हुआ। इसके अंतरराष्ट्रीय साथियों द्वारा गारंटी उत्पादों के समावेशी डिजाइन, एमएसई उद्यमियों को वित्त तक पहुंच की सुविधा और 19 साल की अपनी यात्रा के दौरान इसके द्वारा प्राप्त सामाजिक-आर्थिक प्रभाव के लिए सीजीटीएमएसई के प्रयासों की सराहना की गई।

"अनुमोदित गारंटियों में 58% की बढ़ोत्तरी। दर्ज की गई अब तक की सबसे अधिक अनुमोदित गारंटियाँ।"

हाल के दिनों में सीजीटीएमएसई का कार्य निष्पादन, इसकी नीतियों एवं उत्पाद संवर्द्धन के कारण संभव हुआ जो कि इसकी प्रक्रिया में सुधार के परिणामस्वरूप और निरंतर व्यवसायिक री-इंजीनियरिंग प्रयासों से फलीभूत हुआ है। यह रूपान्तरण दर्शाता है कि सीजीटीएमएसई एक ऐसा संस्थान है जो ग्राहक-केंद्रित है, लगातार नवाचार करता है और खुद को वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के लिए संरेखित करता है। भविष्य की रणनीति को पूर्वोक्त दर्शन द्वारा निर्देशित किया जाना जारी रहेगा, जबकि उद्यमों के निर्माणहेतु ऋण की पहुंच को आसान बनाने के लिए अपनी दृढ़ प्रतिबद्धता को बनाए रखना होगा और खुद को एक टिकाऊ संगठन के रूप में उभरना होगा।

मैं एमएसएमई मंत्रालय, भारत सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक, भारतीय बैंक संघ और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक द्वारा सीजीटीएमएसई को दिये गए मूल्यवान, समय-पर और निरंतर सहयोग के लिए आभार व्यक्त करता हूँ जिसके फलस्वरूप सीजीटीएमएसई एमएसई क्षेत्र के लिए सक्षम वातावरण बनाने में समर्थ हो सका। मैं सदस्य ऋणदात्री संस्थाओं के साथ-साथ सीजीटीएमएसई के सभी साझेदार संस्थानों द्वारा उनके समर्पित प्रयासों और सीजीटीएमएसई के परिचालन को आगे बढ़ाने में विस्तारित सहयोग के लिए उनकी सराहना करता हूँ।

सादर,

हस्ता/-
मोहम्मद मुस्तफ़ा, आई. ए. एस.
अध्यक्ष, सीजीटीएमएसई

सीजीटीएमएसई का न्यासी मण्डल

(यथा 1 सितंबर 2019 को स्थिति)

श्री मोहम्मद मुस्तफ़ा, आईएएस, अध्यक्ष (पदेन)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक

श्री राम मोहन मिश्रा आईएएस, उपाध्यक्ष (पदेन)
अपर सचिव एवं विकास आयुक्त
एमएसएमई मंत्रालय, भारत सरकार

श्री सुनील मेहता, सदस्य (पदेन)
अध्यक्ष, भारतीय बैंक संघ (आईबीए)
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी
पंजाब नेशनल बैंक

श्री वाई. वेणुगोपाल राव, सदस्य सचिव
मुख्य कार्यपालक अधिकारी
सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्रेडिट गारंटी निधि ट्रस्ट

एमएसई संवृद्धि की वाहक- ऋण गारंटियां

एमएसएमई ऋण - वर्तमान स्थिति

सूक्ष्म और एसएमई क्षेत्र के संबंध में वाणिज्यिक ऋण एक्सपोजर ₹4.8 लाख करोड़ और ₹11.1 लाख करोड़ है, जोकि मार्च 2019 के अंत तक वाणिज्यिक ऋण बकाया का लगभग 24.9% है। सूक्ष्म और एसएमई क्षेत्रों की उक्त हिस्सेदारी बढ़ने की पर्याप्त गुंजाइश है क्योंकि सकल घरेलू उत्पाद में इस क्षेत्र का 29% और निर्यात में 49% का योगदान है।

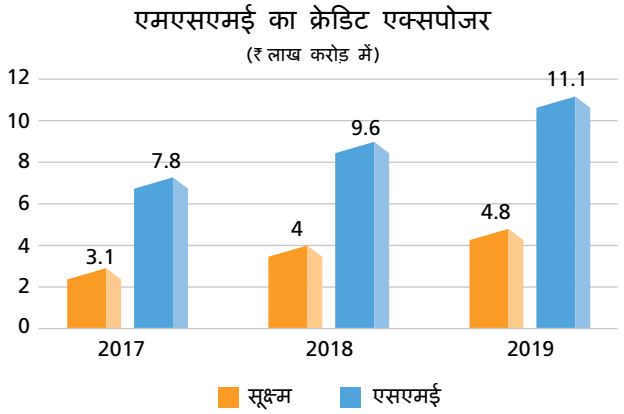

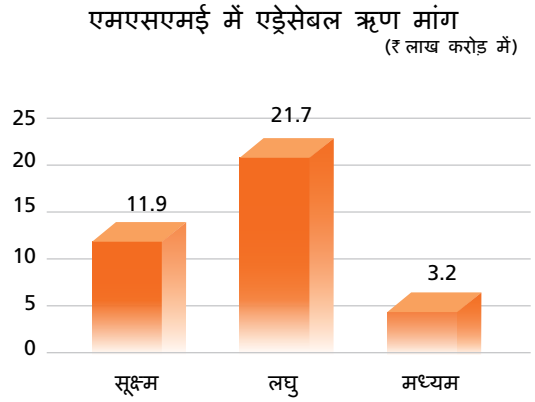

एमएसई ऋण - संभावना

सूक्ष्म और लघु सेगमेंट की ऋण योग्य मांग, क्षेत्र में क्रमशः लगभग ₹11.9 लाख करोड़ और ₹21.7 लाख करोड़ है, जो कि क्षेत्र में अच्छी तरह से स्वीकार किए गए मांग-आपूर्ति अंतर को दर्शाता है। ऋण-अंतराल को दूर करने से यह क्षेत्र अर्थव्यवस्था में अपने योगदान को काफी हद तक बढ़ा देगा।

एमएसई ऋण - क्रेडिट गारंटी सहायता

यह विदित है कि एमएसई क्षेत्र को संपार्श्विक प्रतिभूति संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्रेडिट गारंटी इस क्षेत्र में ऋण-प्रवाह को बढ़ाने के लिए दुनिया भर में एक समय सिद्ध उपकरण के रूप में उभरा है। बढ़ी हुई क्रेडिट गारंटी की सहायता से ऋण-अंतराल को काफी हद तक कम किया जा सकता है। वित्त वर्ष 2019 में सीजीटीएमएसई द्वारा दिखाए गए क्रेडिट गारंटी प्रवाह की वृद्धि में क्षेत्र की बदलती जरूरतों के साथ क्रेडिट गारंटी उत्पादों के संवर्द्धन का प्रभाव स्पष्ट है। ट्रस्ट एमएसई क्षेत्र के लिए क्रेडिट प्रवाह को बढ़ाने में अपनी भूमिका को सुदृढ़ करना जारी रखेगा और इसी तरह भारतीय अर्थव्यवस्था की यात्रा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

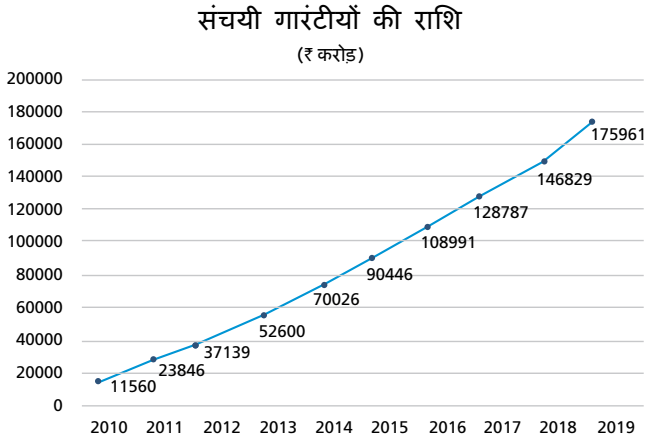

स्रोत: इंटेलकेप रिपोर्ट/एमएसएमई पल्स रिपोर्ट

एमएसई संवृद्धि एवं नवाचार को बढ़ावा देने के लिए सीजीटीएमएसई एक साधन

सीजीटीएमएसई - एमएसई क्षेत्र को संस्थागत ऋण प्रवाह की सुविधा प्रदानकर्ता

क्रेडिट गारंटी योजना पिछले कुछ वर्षों में एमएसई इकाइयों को औपचारिक ऋण स्रोतों तक पहुंच प्रदान करने में एक सफल उपकरण के रूप में उभरा है। योजना का प्रयास है कि ऋणदाताओं के दृष्टिकोण में बदलाव हो और वे संपार्श्विक प्रतिभूति की बजाय परियोजना व्यवहार्यता को देखें। सीजीटीएमएसई प्राथमिक ऋण दात्री संस्थाओं में आत्मविश्वास बढ़ाने में और उन्हें गारंटी कवर की उपलब्धता से एमएसई इकाइयों में ऋण प्रवाह बढ़ाने में सक्षम हुआ है। यह देखते हुए कि यह योजना का लाभ विशेष रूप से एमएसई क्षेत्र तक केंद्रित है, जिसका भारतीय अर्थव्यवस्था में विकास और रोजगार सृजन दोनों में महत्वपूर्ण स्थान है, इसका सकारात्मक बाह्य प्रभाव असीम है।

सीजीटीएमएसई - ढांचा

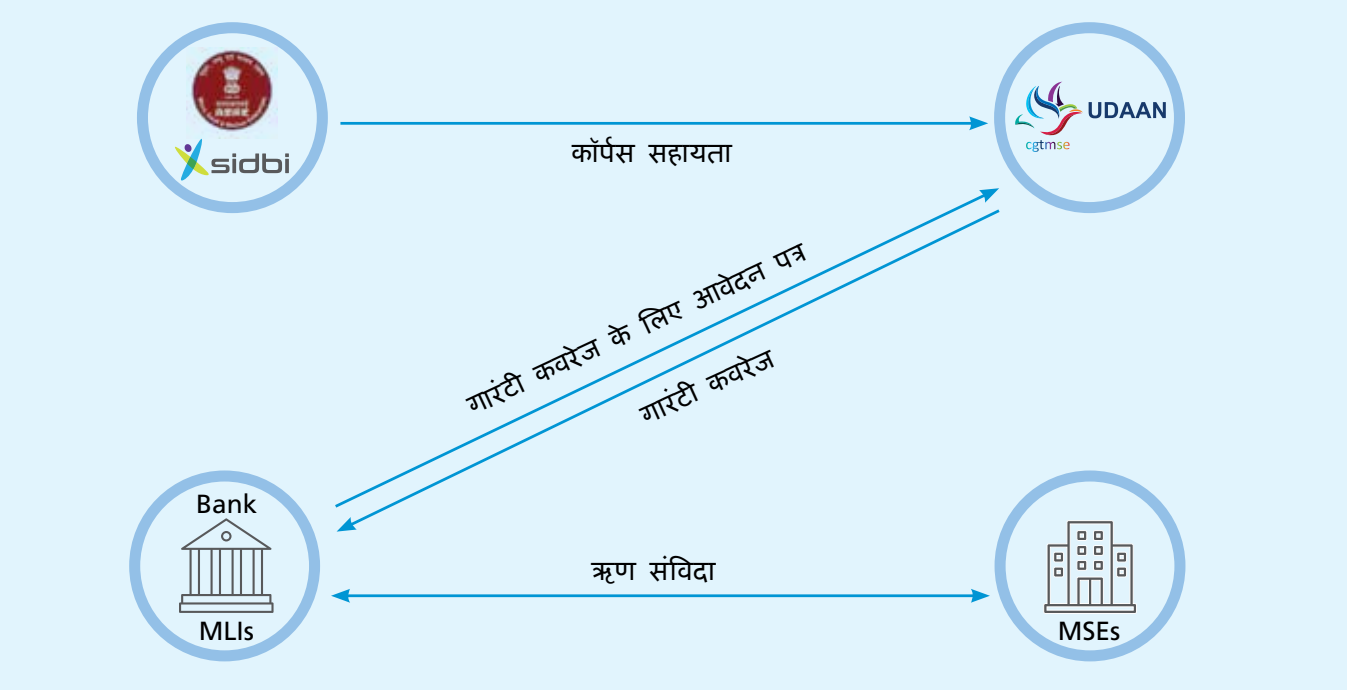

मुख्य विशेषताएँ

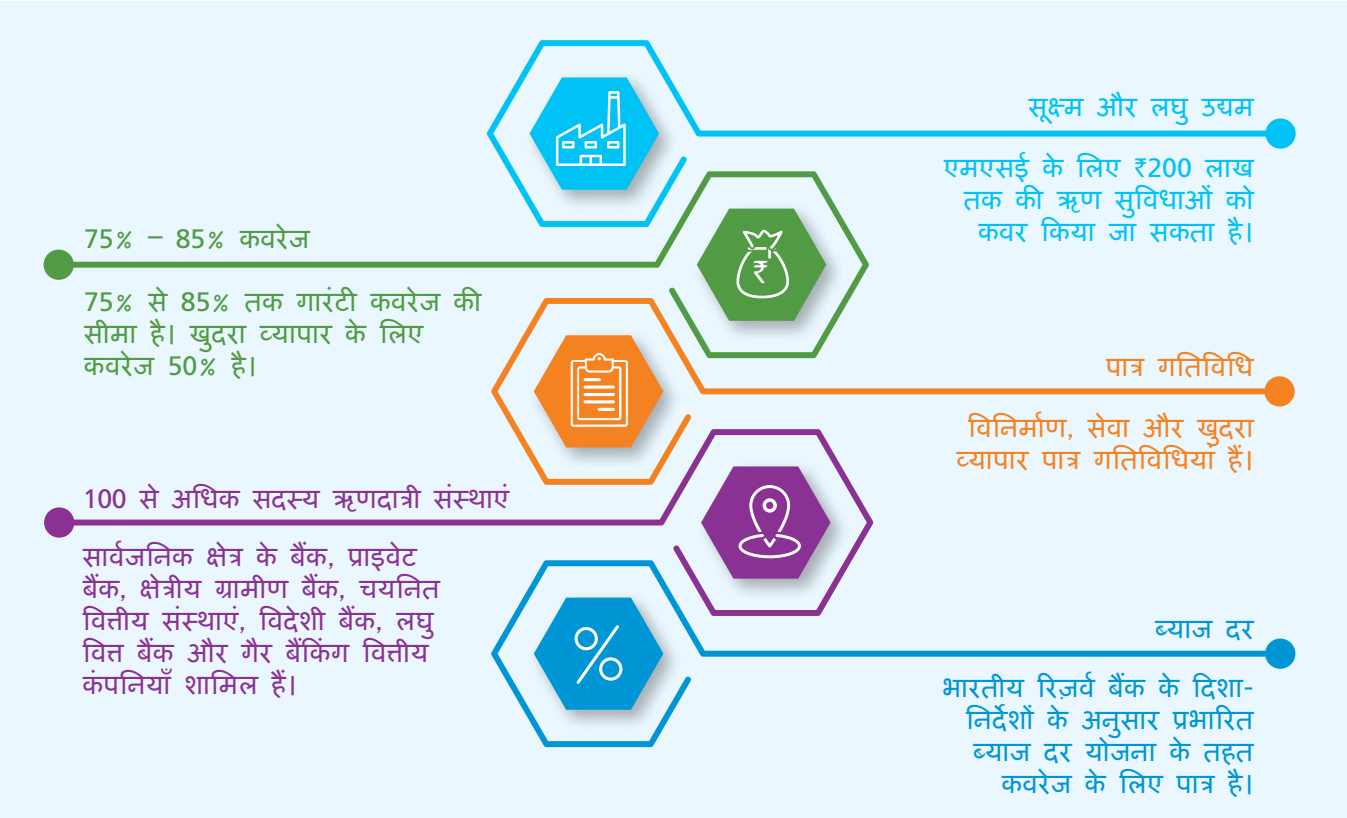

प्रमुख नीतिगत पहलकदमियां

सीजीटीएमएसई ने क्रेडिट गारंटी योजनाओं (सीजीएस) को सदस्य ऋणदात्री संस्थाओं (एमएलआई) के लिए अधिक आकर्षक बनाने हेतु प्रमुख नीतिगत बदलाव किये हैं जो एमएसई क्षेत्र में ऋण प्रवाह (क्रेडिट फ्लो) को बढ़ाने में सक्षम होंगे।

गारंटी कवरेज की सीमा बढ़ाना

₹50 लाख से अधिक के प्रस्तावों के लिए गारंटी कवरेज को 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 75 प्रतिशत की सीमा तक किया गया।

अनुमोदित राशि के स्थान पर बकाया राशि पर शुल्क लगाना

सीजीटीएमएसई के अंतर्गत अनुमोदित राशि के बजाय बकाया ऋण राशि पर वार्षिक गारंटी शुल्क (एजीएफ) लगाना। यह सदस्य ऋणदात्री संस्थाओं (एमएलआई) की काफी लम्बे समय से मांग रही है और इस बदलाव के साथ एमएलआई से गारंटी आधारित ऋणों को लेने में वृद्धि होने का अनुमान है। इसके अलावा, यह बदलाव अनुशासित एमएसई कर्जदारों को भी प्रोत्साहित करेगा।

पात्र कार्यकलाप के रूप में एमएसई खुदरा व्यापार का समावेशन

'एमएसई खुदरा व्यापारी (रिटेल ट्रेडर्स)'क्षेत्र को शामिल करने के लिए क्रेडिट गारंटी योजना (सीजीएस) के कवरेज का विस्तार करना। यह समावेशन बड़ी मात्रा में विस्तार करने में सक्षम होगा क्योंकि इस क्षेत्र का एमएसई क्षेत्र में बड़ा हिस्सा है।

आंशिक संपार्श्विक प्रतिभूति की अनुमति

क्रेडिट गारंटी योजना के अंतर्गत आंशिक संपार्श्विक प्रतिभूति के साथ ऋणों की अनुमति देना। यह क्रेडिट गारंटी दायरे के अधीन बड़ी संख्या में ऋणों को लाने के अलावा अनुशासनात्मक ऋण संव्यवहार को बढ़ावा देने में भी सहायता करेगा।

अदायगी सीमा की शुरूआत

ट्रस्ट की संधारणीयता बनाये रखने के उद्देश्य से एमएलआई द्वारा एक वर्ष के दौरान भुगतान किये गये शुल्क एवं वसूली के आधार पर कुल दावा निपटान की सीमा का आरंभ किया गया है।

सीजीटीएमएसई का अवलोकन

परिचालनगत झलकियाँ
वित्त वर्ष 2019

01

अनुमोदित गारंटियों की राशि ₹30,168 करोड़ - स्थापना के बाद से उच्चतम

02

गारंटियों की संख्या - 4,35,520 - 66% वृद्धि

03

गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ - अनुमोदित गारंटियों की राशि ₹5964 करोड़

04

नए उत्पाद - खुदरा व्यापार एवम् संकर मॉडल - आरंभ के प्रथम वर्ष में ही ₹2931 करोड़

05

संचयी अनुमोदित गारंटियाँ
राशि ₹1,75,961 करोड़
संख्या 34,60,432

06

परिचालनगत आय - ₹936 करोड़
दावा राशि - ₹817 करोड़

वित्त वर्ष 2019 के कार्यनिष्पादन की झलकियां

1. सीजीटीएमएसई की समूह निधि

इस ट्रस्ट की ₹2,500 करोड़ की समूह निधि का आरंभिक अंशदान भारत सरकार और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) द्वारा 4:1 के अनुपात में किया गया था। वित्तीय वर्ष 2019 के दौरान, ट्रस्ट को भारत सरकार द्वारा किये गये समूह निधि अंशदान के रूप में ₹715 करोड़ प्राप्त हुए, जिससे समूह निधि की सकल धनराशि में भारत सरकार एवं सिडबी दोनों का अंशदान क्रमशः ₹6414.90 करोड़ और ₹500.00 करोड़ हो गया। इस प्रकार, 31 मार्च, 2019 को ट्रस्ट की कुल प्रतिबद्ध समूह निधि ₹6914.90 करोड़ थी। इस समूह निधि में वर्ष-वार योगदान का विवरण नीचे दिया गया है:

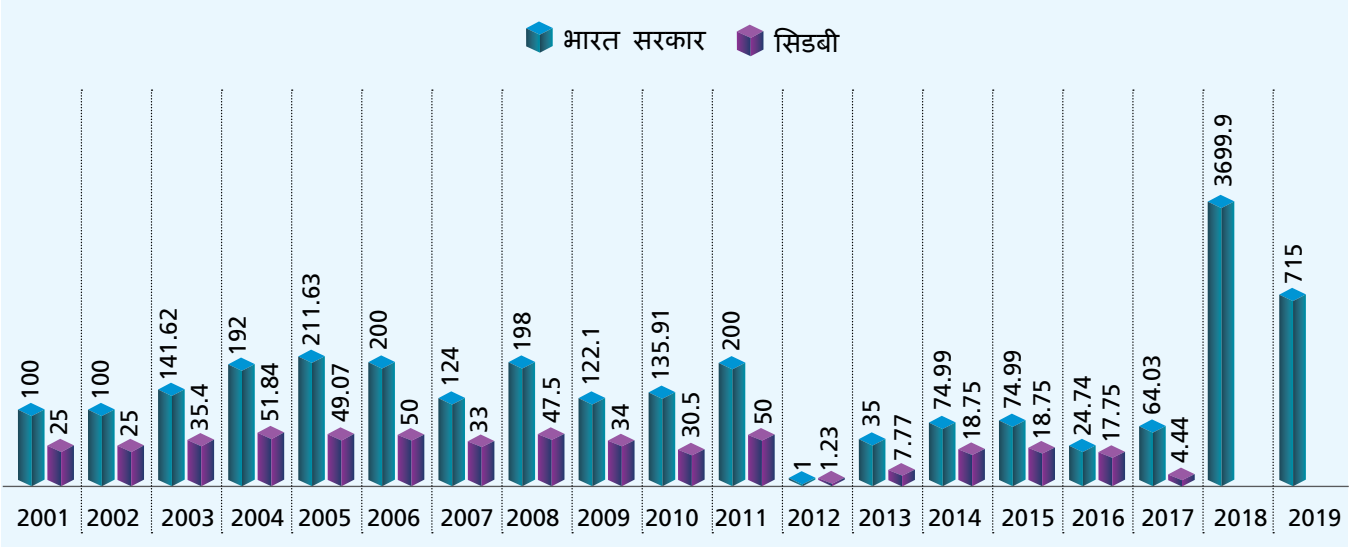

2. सदस्य ऋणदात्री संस्थाएं

समीक्षाधीन अवधि के दौरान सीजीटीएमएसई में लघु वित्त बैंकों को सदस्य ऋणदात्री संस्थाओं (एमएलआई) के रूप में शामिल किया गया। समीक्षाधीन अवधि के दौरान, ट्रस्ट के सदस्य ऋणदात्री संस्थाओं की कुल संख्या 116 हैं जिसमें 21 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, 19 निजी क्षेत्र के बैंक, 51 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, 5 विदेशी बैंक, 9 अन्य वित्तीय संस्थाएं, (5 राज्य वित्त निगम एवं 4 वित्तीय संस्थाएं) 8 गैर बैंकिंग वित्त कंपनियाँ और 3 लघु वित्त बैंक गारंटी कवर का लाभ उठाने के लिए पंजीकृत सदस्य ऋणदात्री संस्थाएं हैं।

2.1 वर्ष के दौरान शीर्ष सदस्य ऋणदात्री संस्थाएं निम्नलिखित हैं:

क्र.सं.	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक
1	भारतीय स्टेट बैंक
2	बैंक ऑफ इंडिया
3	बैंक ऑफ बड़ौदा
4	केनरा बैंक
5	सिंडिकेट बैंक
6	इंडियन ओवरसीज़ बैंक
7	ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स
8	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
9	पंजाब नेशनल बैंक
10	इलाहाबाद बैंक

क्र.सं.	निजी क्षेत्र के बैंक/विदेशी बैंक
1	एचडीएफसी बैंक लि.
2	येस बैंक लि.
3	ऐक्सिस बैंक लि.
4	दि जम्मू एण्ड कशमीर बैंक लि.
5	स्टैन्डर्ड चार्टर्ड बैंक लि.
क्र.सं.	**लघु वित्त बैंक**
1	इक्विटास स्मॉल फाईनांस बैंक
2	ए. यू. स्मॉल फाईनांस बैंक
क्र.सं.	**गैर बैंकिंग वित्त कंपनियाँ**
1	टाटा मोटर्स फ़ाइनेंस लिमिटेड
2	मैगमा फिनकॉर्प लिमिटेड
3	टाटा कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेस लिमिटेड
4	ईसीएल फ़ाइनेंस लिमिटेड

3. ऋण गारंटी योजना के तहत परिचालन

3.1 31 मार्च, 2019 की समाप्ति तक कुल 97 सदस्य ऋणदात्री संस्थाएं गारंटी कवर प्राप्त कर रही थी। इस ट्रस्ट की स्थापना से लेकर 31 मार्च, 2019 तक दिये गये गारंटी अनुमोदनों का वर्ष-वार विवरण निम्नलिखित ग्राफ में दिया गया है:

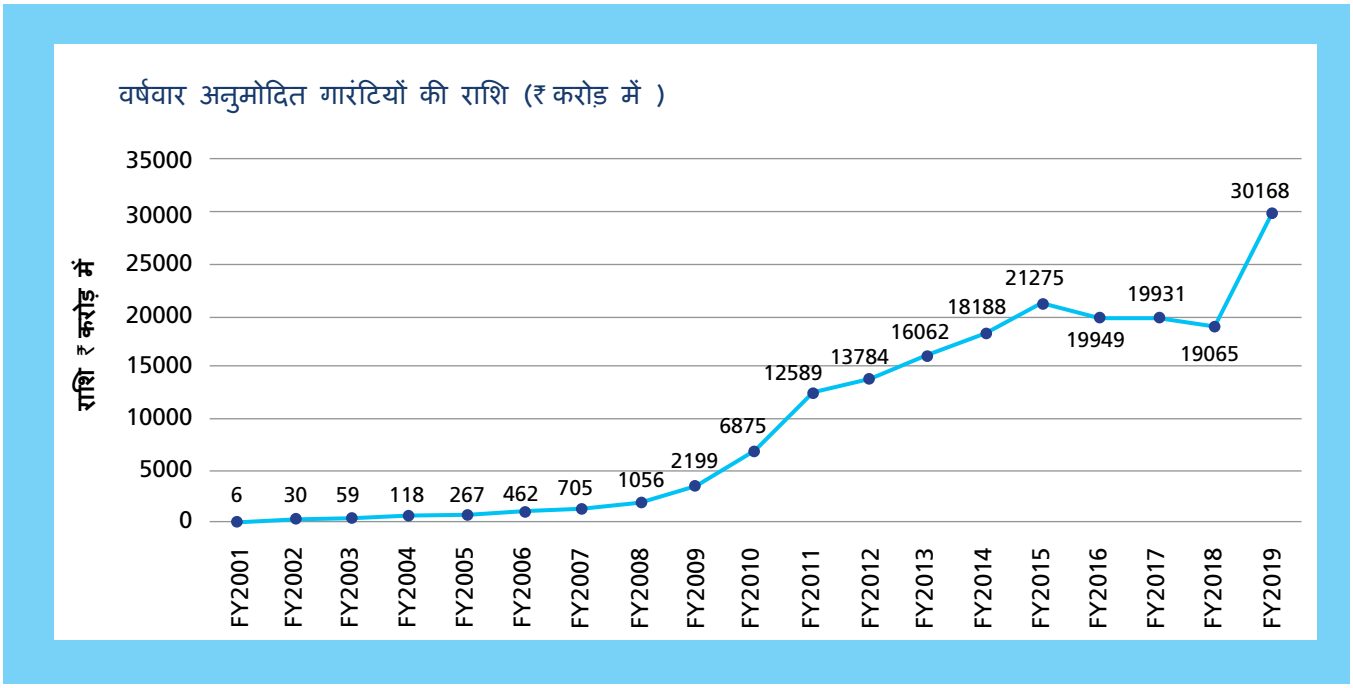

3.2 पिछले वर्ष ₹19,066 करोड़ की 2,63,195 गारंटियों के अनुमोदन की तुलना में वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान ₹30,168 करोड़ की राशि के लिए कुल 4,35,520 गारंटियाँ अनुमोदित की गई थीं। संचयी रूप से, 31 मार्च, 2019 को कुल 34,60,432 खातों के लिए ₹1,75,961 करोड़ की गारंटी अनुमोदित की जा चुकी हैं।

3.3 वित्त वर्ष 2019 में गारंटी कवरेज - एमएलआई श्रेणीवार

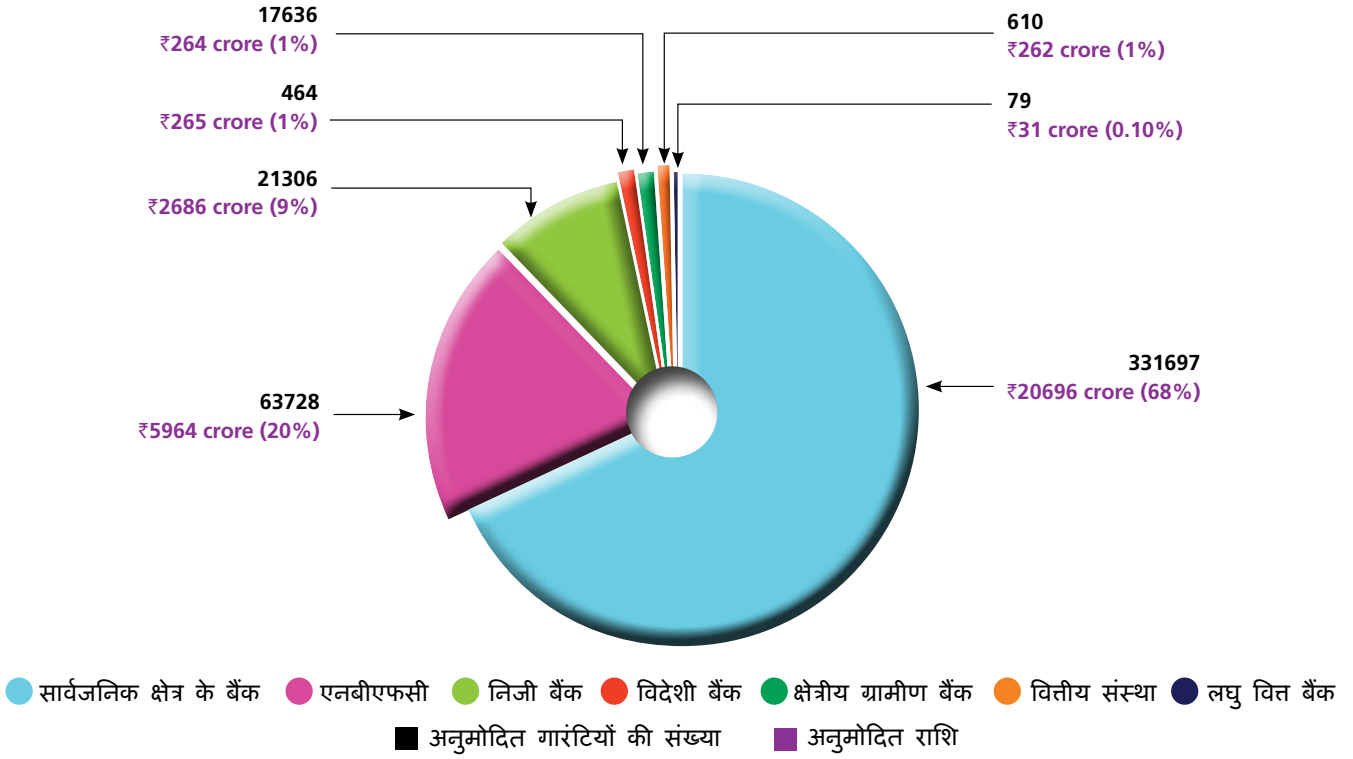

3.4 स्तरवार कवरेज

वित्तीय वर्ष 2019 में अनुमोदित 4,35,520 प्रस्तावों की राशि ₹30168 करोड़ है, इनमें से ₹6638 करोड़ की राशि के प्रस्ताव (22 प्रतिशत) ऐसे थे जो ₹5 लाख तक ऋणों से संबंधित थे, ₹5,669 करोड़ की राशि के प्रस्ताव (19 प्रतिशत) ऐसे थे जिनका क्रेडिट घटक ₹5-10 लाख की ऋण सुविधाओं के दायरे में था, ₹1895 करोड़ की राशि के (6 प्रतिशत) प्रस्ताव ₹10-15 लाख के दायरे में हैं, ₹3889 करोड़ की राशि के (13 प्रतिशत) प्रस्ताव ₹15-25 लाख के दायरे में हैं, ₹6340 करोड़ की राशि के (21 प्रतिशत) प्रस्ताव ₹25-50 लाख के दायरे में हैं, ₹3786 करोड़ की राशि के (13 प्रतिशत) प्रस्ताव ₹50-100 लाख के दायरे में हैं और ₹1951 करोड़ की राशि के (6 प्रतिशत) प्रस्ताव ₹100 लाख-200 लाख के दायरे में हैं।

वित्त वर्ष 2019 में स्तरवार अनुमोदित गारंटी राशि प्रतिशतवार

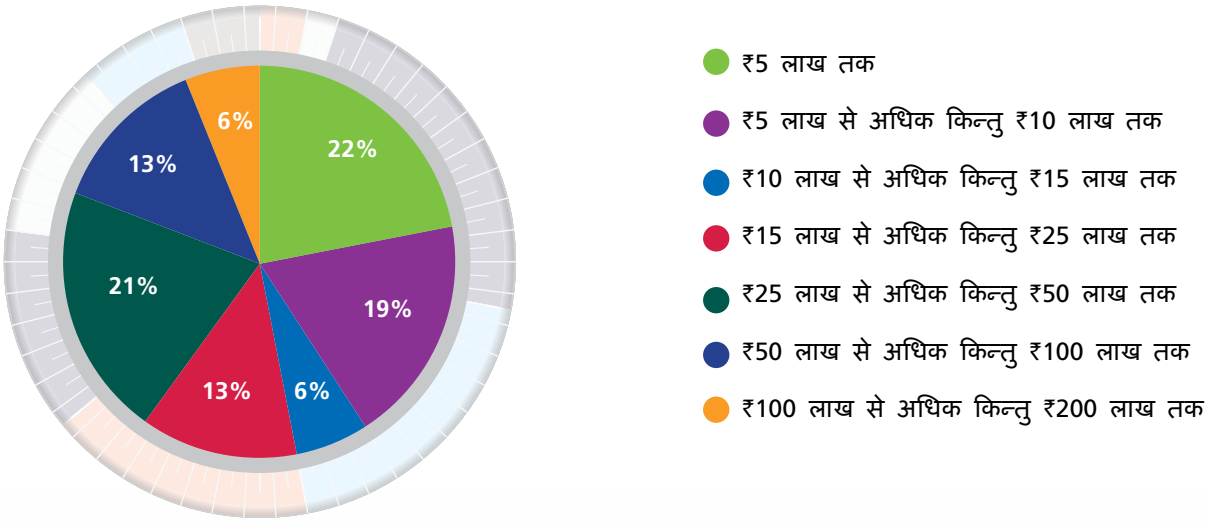

3.5 राज्यवार कवरेज

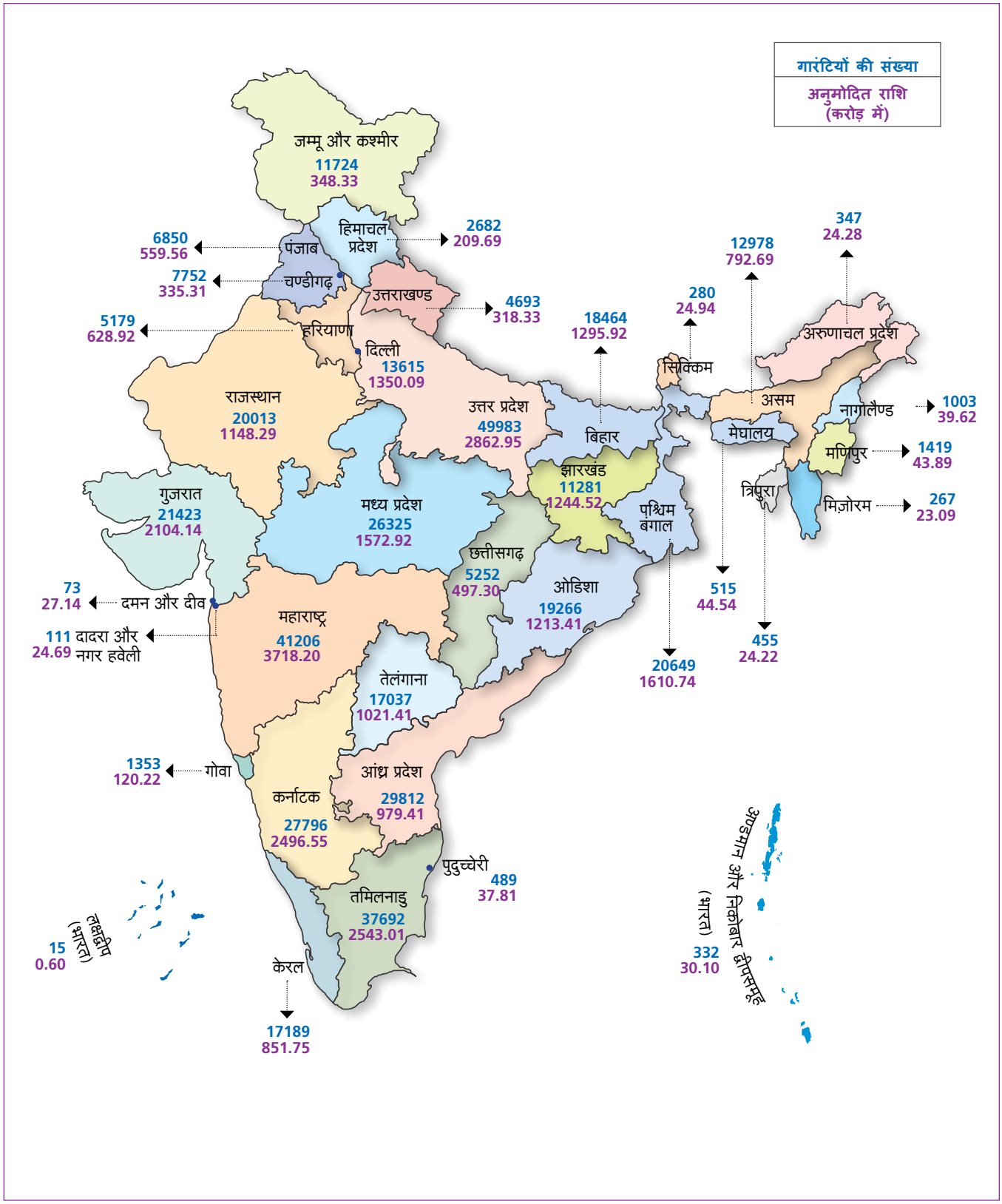

नक्शा पैमाने पर नहीं। केवल उदाहरण के लिए।

3.6 दावा निपटान

वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान, दावे की प्रथम किश्त के प्रति ₹758.17 करोड़ की राशि के 36,351 इकाइयों से संबन्धित दावों का निपटान किया गया था। इस के अतिरिक्त, वर्ष के दौरान दावे की द्वीतीय/अंतिम किश्त के प्रति ₹58.38 करोड़ की राशि के 2596 दावों का निपटान किया गया था। वित्त वर्ष 2019 के दौरान ₹816.56 करोड़ की राशि के कुल निपटाए गए दावों की संख्या 38,947 थी। सीजीटीएमएसई ने अबतक 31 मार्च, 2019 तक संचयी रूप से ₹5,362.09 करोड़ राशि के 2,14,411 दावों का निपटान किया है।

वित्तीय वर्ष 2019

3.7 दावेत्तर निपटान वसूलियां:

वित्तीय वर्ष 2018-2019 के दौरान सदस्य ऋण दात्री संस्थाओं से पहले दावों के निस्तारण के बाद निपटान वसूलियों में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई। वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान प्राप्त किए गए ₹177.94 करोड़ के मुक़ाबले ट्रस्ट ने वर्ष 2018-2019 के दौरान इस खाते में ₹209.63 करोड़ प्राप्त किए। यह सुधार मुख्य रूप से ट्रस्ट द्वारा दावेत्तर निस्तारण निगरानी प्रणाली द्वारा किए गए संकेंद्रित प्रयासों से संभव हुआ है।

प्राप्त वसूलियां (₹ करोड़ में)

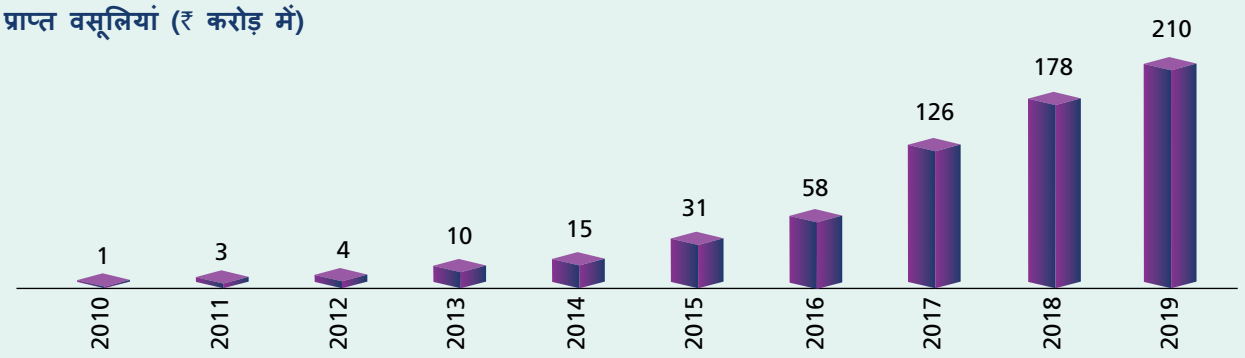

3.8 लेखापरीक्षक

क. मेसर्स कोचर एण्ड एसोसिएट्स, मुंबई, सनदी लेखाकारों के फ़र्म को वित्त वर्ष 2018-19 के लिए सीजीटीएमएसई का आंतरिक लेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है। लेखापरीक्षकों ने संपूर्ण प्रणालियों की व्यापक समीक्षा की, साथ ही राजस्व, व्यय, निवेश इत्यादि का भी लेखापरीक्षा किया।

ख. भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा की गई अनुशंसा के अनुरूप बोर्ड ने वित्त वर्ष 2018-19 के लिए मैसर्स जैन त्रिपाठी एंड कं., मुम्बई, सनदी लेखाकार फर्म को सीजीटीएमएसई के सांविधिक लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त किया।

3.9 लेखा

ट्रस्ट ने ₹1,700.98 करोड़ की सकल आय अर्जित की, जिसमें मुख्य रूप से गारंटी शुल्क (₹207.80 करोड़) और वार्षिक गारंटी एवं सेवा शुल्क (₹518.32 करोड़), निवेशों पर अर्जित ब्याज (₹702.35 करोड़) और सदस्य ऋणदात्री संस्थाओं से हुई वसूली (₹209.63 करोड़) शामिल है। ट्रस्ट ने विभिन्न परिचालनगत तथा प्रशासनिक व्ययों के प्रति ₹9.79 करोड़ की राशि खर्च की। वित्तीय वर्ष 2009 से वार्षिक प्रावधान, ट्रस्ट की देयताओं के बीमांकिक मूल्यांकनों के आधार पर किये जा रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए प्रावधानों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

विवरण	राशि (₹ करोड़)
01 अप्रैल, 2018 को अथशेष	2,145.50
घटाएँ: वर्ष के दौरान भुगतान किए गए दावे	816.56
जोड़ें: वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	1,607.58
31 मार्च, 2019 को इतिशेष	2,936.52

31 मार्च, 2019 को संचयी प्रावधान अनुमानित रूप से ₹2,936.52 करोड़ है। बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार दावों के प्रावधान के बाद व्यय से आय ₹83.38 करोड़ अधिक थी।

वर्ष के दौरान ट्रस्ट ने अपने अवस्थापकों, भारत सरकार से ₹715 करोड़ का समूह निधि अंशदान प्राप्त किया। यह राशि पूर्व में प्राप्त समूह निधि अंशदान और ट्रस्ट द्वारा अब तक अर्जित की गई निवल आय के साथ बैंकों/ संस्थाओं की सावधि जमाओं में निवेश कर दी गई है। समूह निधि का आकार 31 मार्च, 2019 को ₹6,914.90 करोड़ था। 31 मार्च, 2019 को कुल निधि ₹10,517.31 करोड़ (उपचित ब्याज घटाकर) थी जो कि विगत वर्ष के अंत में ₹8,655.16 करोड़ थी।

3.10 प्रबंधन एवं संगठन

वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान न्यासी मंडल में सिडबी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक पदेन अध्यक्ष, अपर सचिव एवं विकास आयुक्त (एमएसएमई), सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार पदेन उपाध्यक्ष, भारतीय बैंक संघ (आईबीए) के अध्यक्ष पदेन सदस्य और सीजीटीएमएसई के मुख्य कार्यपालक अधिकारी सदस्य सचिव के रूप में शामिल थे। वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान न्यासी मंडल की तीन बैठकें हुई। 31 मार्च, 2019 को मुख्य कार्यपालक अधिकारी सहित 5 अधिकारी सिडबी से सीजीटीएमएसई में प्रतिनियुक्ति पर थे।

सीजीटीएमएसई का न्यासी मंडल सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार, विकास आयुक्त (एमएसएमई) का कार्यालय, सिडबी, भारतीय रिजर्व बैंक, आईबीए, सीजीटीएमएसई के सदस्य ऋणदात्री संस्थाओं, विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय संस्थाओं तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग संघों से प्राप्त सहायता एवं सहयोग के लिए उनकी सराहना करता है।

सदस्य ऋणदात्री सदस्यों से पारस्परिक विमर्श/प्रमुख कार्यक्रम

योजना की परिव्याप्ति को और अधिक गहन और व्यापक बनाने की दृष्टि से सीजीटीएमएसई ने अपने सदस्य ऋणदात्री संस्थाओं के बैंक अधिकारियों के लिए सर्किल ऑफिस, क्षेत्रीय कार्यालय, स्टाफ प्रशिक्षण केंद्रों सहित विभिन्न स्तरों पर कतिपय कार्यशालाओं/प्रशिक्षण सत्रों का आयोजन किया और उक्त कार्यक्रमों में प्रतिभागिता की। इसका मुख्य उद्देश्य सीजीटीएमएसई की पुनरीक्षित ऋण गारंटी योजना के संबंध में सूचना का प्रसार-प्रचार करना था, ताकि पात्र सूक्ष्म और लघु उद्यम, इस योजना से लाभान्वित हो सकें। वित्तवर्ष 2019 के दौरान, सीजीटीएमएसई ने 135 सेमिनारों/कार्यशालाओं/बैठकों में प्रतिभागिता की और 263 व्यवसाय विकास पर केंद्रित बैठकों का आयोजन कर ऋण गारंटी योजना के विभिन्न पहलुओं पर बैंक अधिकारियों/लघु उद्यमों को जागरूक बनाने के लिए अपेक्षित प्रस्तुतियाँ कीं।

सीजीटीएमएसई बैंकर्स सम्मेलन

उत्तर पूर्वी क्षेत्र में सीजीटीएमएसई कार्यशाला

सीजीटीएमएसई बैंकर्स मीट

एसबीआई - भुवनेश्वर के लिए सीजीटीएमएसई कार्यशाला

इकनोमिक टाइम्स अवार्ड्स 2019

31वाँ एक्सिक सम्मेलन

सीजीटीएमएसई ने 24-25 नवंबर के दौरान उदयपुर में आयोजित 31वें एक्सिक सम्मेलन की मेजबानी की। इस सम्मेलन में 9 देशों की 13 गारंटी प्रदान करने वाली संस्थाओं के 100 से भी अधिक अधिकारियों ने प्रतिभागिता की। 31वें एक्सिक सम्मेलन का विषय था 'क्रेडिट गारंटी: ए व्हीकल फॉर इनक्लूसिव ग्रोथ' और इस वैशिष्ट्य को ध्यान में रखकर प्रतिभागियों ने अपनी प्रस्तुतियों के माध्यम से अपने विचारों का आदान-प्रदान किया। इस सम्मेलन में एशियाई क्षेत्र में सक्रिय गारंटी संगठनों के बीच अधिकाधिक सहयोगपरकता को बल मिला और इसमें साझा किए गए अनुभवों से अनेक गारंटी संगठन लाभान्वित हुए।

प्रतिभागी संस्थाएँ

क्र. सं.	देश	संस्था
1	भारत	सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्रेडिट गारंटी निधि ट्रस्ट
2	इंडोनेशिया	जीटी अस्करिंडो (परसेरो)
3		एशोसिएशन ऑफ़ इंडोनेशिया क्रेडिट गारंटी कारपोरेशन
4	जापान	जापान फाइनांस कारपोरेशन
5		जापान फेडरेशन ऑफ़ क्रेडिट गारंटी कारपोरेशन
6	कोरिया	कोरिया क्रेडिट गारंटी फंड
7		कोरिया फेडरेशन ऑफ़ क्रेडिट गारंटी कारपोरेशन
8		कोरिया टेक्नोलॉजी फाइनांस कारपोरेशन
9	मलेशिया	क्रेडिट गारंटी कारपोरेशन
10	मंगोलिया	क्रेडिट गारंटी फंड ऑफ़ मंगोलिया
11	नेपाल	डिपॉज़िट ऐण्ड क्रेडिट गारंटी फंड
12	श्रीलंका	सेंट्रल बैंक ऑफ़ श्रीलंका
13	थाईलैंड	थाई क्रेडिट गारंटी कारपोरेशन

31 वाँ एक्सिक सम्मेलन - प्रतिभागी

श्री मोहम्मद मुस्तफ़ा, अध्यक्ष - सीजीटीएमएसई

31 वाँ एक्सिक सम्मेलन - इंडोनेशियाई प्रतिनिधि

31 वाँ एक्सिक सम्मेलन - जापानी प्रतिनिधि

31 वाँ एक्सिक सम्मेलन - मुख्य प्रतिनिधियों की बैठक

वित्तीय विवरण

लेखापरीक्षक की रिपोर्ट

जैन त्रिपाठी एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
प्रधान कार्यालय: 204-बी, रूबी अपार्टमेंट्स, सर एमवी मार्ग, अंधेरी (पूर्व), मुंबई – 400069
दूरभाष सं.: 022-26830868 • मोबाइल: 09321028751/9869217845 • ई-मेल:admin@jaintripathi.com

प्रति
न्यासी मंडल
सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्रेडिट गारंटी निधि ट्रस्ट
मुंबई

1. हमने 31 मार्च 2019 तक सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी निधि ट्रस्ट की संलग्न तुलन-पत्र और इसी तारीख को समाप्त वित्तीय वर्ष का आय और व्यय खाता और नकदी प्रवाह विवरण की लेखापरीक्षा की है। यह वित्तीय विवरण ट्रस्ट के प्रबंधन का दायित्व है। हमारा दायित्व अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर अभिमत व्यक्त करना है।

2. भारत में समान्यतया स्वीकृत लेखांकन मानकों के अनुसार हमने अपनी लेखापरीक्षा सम्पन्न की है। उन मानकों के अंतर्गत यह अपेक्षित है कि हम अपनी लेखापरीक्षा की योजना और निष्पादन इस प्रकार करें कि वित्तीय विवरणों के तथ्यगत मिथ्याकथनों से मुक्त होने के विषय में समुचित रूप में आश्वस्त हुआ जा सके। लेखापरीक्षा में परीक्षण के आधार पर जांच, वित्तीय विवरणों में घोषणाओं और धनराशियों के समर्थन में साक्ष्यों को शामिल किया जाता है। लेखापरीक्षा में प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत लेखांकन सिद्धांतों और किए गए महत्वपूर्ण अनुमानों के आकलन के साथ-साथ समग्र वित्तीय प्रस्तुति का मूल्यांकन भी शामिल होता है। हमें विश्वास है कि हमारी लेखापरीक्षा युक्तिसंगत आधार प्रस्तुत करती है।

3. हम निम्नानुसार सूचित करते हैं:
   क. हमने सभी जरूरी सूचना और स्पष्टीकरण प्राप्त किए जो हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार हमारी इस लेखापरीक्षा के प्रयोजन के लिए आवश्यक है।
   ख. हमारा अभिमत है कि खाताबहियों की हमने जो जांच की, उससे यही प्रतीत होता है कि ट्रस्ट ने विधि द्वारा अपेक्षित समुचित खाताबहियों का रखरखाव किया है।
   ग. इस रिपोर्ट में जिस तुलन-पत्र, आय-व्यय खाते तथा नकदी प्रवाह विवरण का उल्लेख है वह खाताबहियों के अनुरूप है।
   घ. हमारे अभिमत में वित्तीय विवरणों और उनके साथ पठित टिप्पणियां भारत में सामान्यत: स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप सत्य एवं उचित स्थिति प्रस्तुत करते हैं।
      i. तुलन-पत्र के मामले में यथा 31 मार्च, 2019 को ट्रस्ट के कामकाज की स्थिति
      ii. आय और व्यय लेखा के मामले में इसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए ट्रस्ट के अधिशेष की स्थिति।
      iii. नकदी प्रवाह विवरण के मामले में इसी तारीख को समाप्त वर्ष के नकदी प्रवाह की स्थिति

कृते जैन त्रिपाठी एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म रजि.सं. FRN: 103979W

हस्ता/-
(डी.पी.त्रिपाठी)
साझेदार
सदस्य संख्या. M.No. 013593

स्थान: मुम्बई
दिनांक: 11-06-2019

सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्रेडिट गारंटी निधि ट्रस्ट

तुलनपत्र

31 मार्च 2019 की स्थिती का तुलनपत्र

विवरण	अनुसूचियां	यथा 31.03.2019 को		यथा 31.03.2018 को	
		(₹)	(₹)	(₹)	(₹)
निधियों का स्रोत					
समूह निधि	1		80,12,35,25,329		72,13,97,53,855
सामान्य आरक्षित निधियां	2		74,20,662		74,20,662
चालू देयताएं एवं प्रावधान	3		33,00,86,77,684		23,57,62,77,330
कुल			**1,13,13,96,23,675**		**95,72,34,51,847**
निधियों का अनुप्रयोग					
अचल परिसंपत्तियां					
कम्प्यूटर एवं सॉफ्टवेयर		2,85,69,407		2,85,69,407	
घटाएं: मूल्यह्रास आरक्षिति		2,17,41,772	68,27,635	1,97,83,423	87,85,984
फर्नीचर एवं फिक्सचर		11,85,682		13,81,329	
घटाएं: मूल्यह्रास आरक्षिति		4,42,832	7,42,850	3,89,838	9,91,491
मोटर कार		12,66,029		12,66,029	
घटाएं: मूल्यह्रास आरक्षिति		7,16,282	5,49,747	5,65,941	7,00,088
बिजली के उपकरण		9,86,592		12,48,223	
घटाएं: मूल्यह्रास आरक्षिति		4,24,432	5,62,160	4,05,346	8,42,877
			86,82,392		**1,13,20,440**
निवेश	**4**		1,10,00,09,63,081		90,70,35,23,524
चालू परिसम्पत्तियां					
रोकड़ शेष			1,461		3,098
बैंक में शेष राशि	5		7,32,33,411		9,39,70,070
प्राप्य राशियां	6		15,85,05,409		34,67,97,523
जमा राशियां (किराया)			-		70,20,000
कर प्राधिकरण से वापसी योग्य रकम	7		2,89,82,37,921		4,56,08,17,192
कुल			**1,13,13,96,23,675**		**95,72,34,51,847**
लेखे से सम्बद्ध टिप्पणियां	9		-		-

हमारी सम दिनांकित रिपोर्ट के अनुसार

कृते जैन त्रिपाठी एंड कं.
सनदी लेखाकार
फर्म रजि.सं.103979 डब्ल्यू

(डी.पी. त्रिपाठी)
साझेदार
सदस्यता सं. 013593

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 11.06.2019

उक्त तुलनपत्र और इसमें संलग्न अनुसूचियों का हम एतद्द्वारा सत्यापन करते हैं।

न्यासी मंडल की ओर से

हस्ता/-
(मोहम्मद मुस्तफ़ा, आई.ए.एस.)
अध्यक्ष

हस्ता/-
(राम मोहन मिश्रा, आई.ए.एस.)
उपाध्यक्ष

हस्ता/-
(एस.एन.सिंह)
सदस्य सचिव

सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्रेडिट गारंटी निधि ट्रस्ट

आय एवं व्यय लेखा

31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए

विवरण	अनुसूचियां	(राशि ₹ में)	
		वर्तमान वर्ष	विगत वर्ष
आय			
निवेश पर ब्याज		6,88,55,43,318	5,23,87,13,593
म्युचुअल फंड से आय		13,79,18,313	13,30,91,902
गारंटी शुल्क (सीजीएस-I)		1,97,78,85,274	1,78,48,82,816
गारंटी शुल्क (सीजीएस-II)		10,01,11,250	-
वार्षिक गारंटी शुल्क		5,08,68,55,149	4,41,07,47,796
वार्षिक सेवा शुल्क		9,63,48,288	32,98,36,745
विविध आय		16,23,716	27,22,563
दांडिक ब्याज से आय		25,20,710	2,30,121
भुगतान किये गये दावों के खाते से एमएलआई की वसूलियां		2,09,62,93,289	1,77,94,37,013
आयकर की वापसी पर ब्याज		62,46,68,697	-
		17,00,97,68,004	**13,67,96,62,549**
व्यय			
परिचालनगत और अन्य प्रशासनिक व्यय	**8**	9,78,55,510	7,70,46,173
गारंटी दावों के लिए प्रावधान		16,07,58,00,000	13,14,84,00,000
बैंक प्रभार		14,301	1,652
मूल्यह्रास		23,26,719	22,00,348
		16,17,59,96,530	**13,22,76,48,173**
व्यय पर आय का आधिक्य		**83,37,71,474**	**45,20,14,376**
जोड़ें/(घटाएं): पूववर्ती अवधि की मदें		-	(72,240)
कर-पूर्व अधिशेष		**83,37,71,474**	**45,19,42,136**
जोड़ें: आयकर प्रावधान पुनरांकि		-	2,07,605
घटाएं: आयकर हेतु प्रावधान		-	-
कर-पश्चात अधिशेष		**83,37,71,474**	**45,21,49,741**
घटाएं: सामान्य आरक्षिती में अंतरण		-	-
व्यय की तुलना में आय के अधिशेष को समूह निधि में शामिल किया गया		**83,37,71,474**	**45,21,49,741**
खातों से सम्बद्ध टिप्पणियां	**9**		

हमारी सम दिनांकित रिपोर्ट के अनुसार

कृते जैन त्रिपाठी एंड कं.
सनदी लेखाकार
फर्म रजि.सं.103979 डब्ल्यू

(डी.पी. त्रिपाठी)
साझेदार
सदस्यता सं. 013593

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 11.06.2019

उक्त तुलनपत्र और इसमें संलग्न अनुसूचियों का हम एतद्द्वारा सत्यापन करते हैं।

न्यासी मंडल की ओर से

हस्ता/-
(मोहम्मद मुस्तफ़ा, आई.ए.एस.)
अध्यक्ष

हस्ता/-
(राम मोहन मिश्रा, आई.ए.एस.)
उपाध्यक्ष

हस्ता/-
(एस.एन.सिंह)
सदस्य सचिव

UDAAN
cgtmse

सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्रेडिट गारंटी निधि ट्रस्ट

नकदी प्रवाह विवरण

31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए

विवरण	31 मार्च 2019		31 मार्च 2018	
	₹	₹	₹	₹
परिचालन क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह				
आय एवं व्यय विवरणी के अनुसार, कर-पश्चात व्यय पर आय का आधिक्य		**83,37,71,474**		**45,21,49,741**
जोड़ें: आय एवं व्यय खातों में नामे मूल्यह्रास	23,26,719		22,00,348	
आय एवं व्यय खातों में नामें गारंटी दावों के संबंध में प्रावधान	16,07,58,00,000		13,14,84,00,000	
घटाएँ: निवेश पर ब्याज	(6,88,55,43,318)		(5,23,87,13,593)	
घटाएँ: आयकर वापसी पर ब्याज	(62,46,68,697)		-	
घटाएँ: म्युचुअल फंड से आय	(13,79,18,313)		(13,30,91,902)	
		8,42,99,96,391		**7,77,87,94,853**
कार्यशील पूंजी में परिवर्तन से पूर्व नकदी प्रवाह		**9,26,37,67,865**		**8,23,09,44,594**
कार्यशील पूंजी में परिवर्तन				
प्राप्त राशियों में (वृद्धि)/कमी	18,82,92,114		(17,37,96,705)	
अन्य मदों में (वृद्धि)/कमी	70,20,000		-	
कर प्राधिकरणों से वापसी योग्य राशि में (वृद्धि)/कमी	2,35,32,45,280		(11,54,178)	
वर्तमान देयताओं में (वृद्धि)/कमी	1,52,21,55,420		1,25,85,10,767	
		4,07,07,12,814		**1,08,35,59,884**
कार्यशील पूंजी में परिवर्तन के पश्चात नकदी प्रवाह में परिवर्तन		**13,33,44,80,679**		**9,31,45,04,478**
घटाएँ:				
वर्ष के दौरान निपटाए गये दावे	(8,16,55,55,066)		(9,67,79,67,222)	
कर की अग्रिम अदायगी	(69,06,66,009)		(50,98,47,499)	
		(8,85,62,21,075)		**(10,18,78,14,721)**
परिचालन कार्यकलापों से उत्पन्न/(में प्रयुक्त) नकदी प्रवाह (क)		**4,47,82,59,604**		**(87,33,10,243)**
निवेश कार्यकलापों से नकदी प्रवाह				
वर्ष के दौरान स्थिर परिसम्पतियों का (अधिग्रहण)/निपटान	3,11,329		(50,67,317)	
वर्ष के दौरान निवेश में अनुवृद्धि	(19,29,74,39,557)		(41,42,23,30,389)	
निवेश कार्यकलापों में प्रयुक्त नकदी प्रवाह (ख)		**(19,29,71,28,228)**		**(41,42,73,97,706)**
वित्तपोषण कार्यकलापों से उत्पन्न नकदी प्रवाह				
वर्ष के दौरान समूह निधि में की गई वृद्धि	7,15,00,00,000		36,99,90,00,000	
म्युचुअल फंड पर ब्याज आय	13,79,18,313		13,30,91,902	
आयकर वापसी पर ब्याज	62,46,68,697		-	
निवेश पर ब्याज आय	6,88,55,43,318		5,23,87,13,593	
वित्तपोषण कार्यकलापों से उत्पन्न नकदी प्रवाह (ग)		**14,79,81,30,328**		**42,37,08,05,495**
वर्ष के दौरान नकदी प्रवाह में हुई निवल वृद्धि (क)+(ख)+(ग)		**(2,07,38,296)**		**7,00,97,546**
नकद एवं नकद समतुल्य का आरंभिक शेष		9,39,73,168		2,38,75,622
नकद एवं नकद समतुल्य का अंतिम शेष		**7,32,34,872**		**9,39,73,168**

टिप्पणियाँ:

1 नकद राशियों एवं बैंक में शेष राशियों को शामिल करते हुए नकद राशियाँ एवं नकद समतुल्य

2 कोष्ठक में दिए गए आंकड़ें नकद राशियों के बहिर्गमन को दर्शाते हैं

3 निम्नलिखित को शामिल करते हुए 31 मार्च 2019 को नकद राशियाँ एवं नकदी समतुल्य

	31 मार्च 2019	**31 मार्च 2018**
नकदी	1,461	3,098
बैंक में शेष	7,32,33,411	9,39,70,070
कुल	**7,32,34,872**	**9,39,73,168**

4 आवश्यकतानुसार पिछले वर्ष के आंकड़ों का समूहन किया गया है।

कृते जैन त्रिपाठी एंड कं.
सनदी लेखाकार
फर्म रजि.सं.103979 डब्ल्यू

(डी.पी. त्रिपाठी)
साझेदार
सदस्यता सं. 013593

स्थानः नई दिल्ली
दिनांक: 11.06.2019

न्यासी मंडल की ओर से

हस्ता/-
(मोहम्मद मुस्तफ़ा, आई.ए.एस.)
अध्यक्ष

हस्ता/-
(राम मोहन मिश्रा, आई.ए.एस.)
उपाध्यक्ष

हस्ता/-
(एस.एन.सिंह)
सदस्य सचिव

सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्रेडिट गारंटी निधि ट्रस्ट

तुलन-पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियाँ

31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष हेतु

विवरण		यथा 31-03-19	यथा 31-03-18
		₹	₹
अनुसूची: 1			
समूह निधि			
निम्नलिखित से प्राप्त			
भारत सरकार		64,14,90,33,000	56,99,90,33,000
सिडबी		5,00,00,00,000	5,00,00,00,000
(आरएसएफ 1 एवं आरएसएफ 2 की समूह निधि क्रमश: ₹25,00,00,000/-एवं ₹7,77,50,000/-सहित)			
	(क)	**69,14,90,33,000**	**61,99,90,33,000**
व्यय की तुलना में आय का अधिशेष			
अग्रेषित शेष		10,14,07,20,855	9,68,85,71,114
जोड़ें: वर्तमान वर्ष का अधिशेष		83,37,71,474	45,21,49,741
	(ख)	**10,97,44,92,329**	**10,14,07,20,855**
	(क+ख)	**80,12,35,25,329**	**72,13,97,53,855**
अनुसूची: 2			
सामान्य आरक्षितियां			
अग्रेषित शेष		74,20,662	74,20,662
जोड़ें: आय और व्यय खाते से अंतरित		-	-
		74,20,662	**74,20,662**
अनुसूची: 3			
चालू देयताएँ और प्रावधान			
गारंटी दावों के लिए प्रावधान (अनुसूची 9 की टिप्पणी सं 7 भी देखिए)		29,36,51,93,247	21,45,49,48,313
व्यय के प्रति बकाया देयताएँ		87,87,367	1,10,43,581
देय गारंटी दावे		14,86,626	61,32,907
देय टीडीएस		11,63,967	12,97,105
देय व्यवसायिक कर		2,000	2,600
लौटाए जाने योग्य गारंटी शुल्क		22,73,569	13,49,260
लौटाए जाने योग्य वार्षिक सेवा गारंटी शुल्क		37,21,946	6,45,960
डीसी (हस्तशिल्प एवं हथकरघा) भारत सरकार से जीएफ व एएसएफ के लिए प्राप्त अग्रिम		23,38,301	25,22,133
गारंटी शुल्क के प्रति प्राप्त अग्रिम		1,63,51,45,465	88,05,62,476
देय वस्तु एवं सेवाएँ कर		34,71,00,800	21,33,16,692
जीएफ विनियोजन खाता		7,59,819	9,28,332
एएसएफ विनियोजन खाता		10,12,196	9,99,389
वार्षिक गारंटी नवीकरण शुल्क के प्रति प्राप्त अग्रिम		1,63,96,92,381	1,00,25,28,582
		33,00,86,77,684	**23,57,62,77,330**

सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्रेडिट गारंटी निधि ट्रस्ट

तुलन-पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियाँ

31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष हेतु

विवरण	यथा 31-03-19 ₹	यथा 31-03-18 ₹
अनुसूची: 4		
निवेश		
1) बैंकों के सावधि जमा में निवेश		
i) डीसी (हस्तशिल्प एवं हथकरघा), भारत सरकार से प्राप्त अग्रिम का निवेश	23,30,859	20,05,474
ii) समूह निधि एवं अन्य निधियों का निवेश	1,08,85,44,44,869	89,00,74,58,050
2) म्यूचुअल फ़ंड में निवेश	1,14,41,87,353	1,69,40,60,000
[म्यूचुअल फ़ंड में निवेशों का बाजार मूल्य: ₹114,89,91,677.54]		
	1,10,00,09,63,081	**90,70,35,23,524**
अनुसूची: 5		
बैंक में जमा शेष		
चालू खाते		
आईडीबीआई बैंक लि.,	1,14,20,795	9,33,74,785
आईडीबीआई बैंक लि., डीसी (हस्तशिल्प), भारत सरकार	13,299	3,75,731
आईडीबीआई बैंक लि., - डीसी (हस्तकरघा), भारत सरकार	3	1,46,402
कार्पोरेशन बैंक	65,58,632	73,152
भारतीय स्टेट बैंक	5,52,40,682	-
	7,32,33,411	**9,39,70,070**
अनुसूची: 6		
प्राप्तियाँ		
पूर्वप्रदत्त व्यय	3,17,605	2,87,557
अग्रिम भुगतान एवं गारंटी दावा प्राप्य राशि	8,050	24,13,397
प्राप्य वार्षिक सेवा शुल्क	1,97,507	29,98,928
प्राप्य वार्षिक गारंटी शुल्क	1,06,597	16,00,83,926
प्राप्य गारंटी शुल्क	10,99,688	2,15,20,187
इनपुट कर जमा (प्रावधान)	10,22,086	28,97,717
सेवा कर (ईसी/एसएचसीई)	31,36,145	31,36,145
वसूली योग्य सेवा कर	15,26,17,731	15,34,36,206
वसूली योग्य जीएसटी	-	23,460
	15,85,05,409	**34,67,97,523**

सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्रेडिट गारंटी निधि ट्रस्ट

तुलन-पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियाँ

31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष हेतु

विवरण		यथा 31-03-19	यथा 31-03-18
		₹	₹
अनुसूची: 7			
कर प्राधिकरणों से प्राप्य राशि			
वापसी योग्य आयकर 31/3/07		-	8,68,43,908
वापसी योग्य आयकर 31/3/08		-	3,99,29,054
वापसी योग्य आयकर 31/3/09		-	2,21,18,100
वापसी योग्य आयकर 31/3/10		39,86,08,031	1,52,88,27,407
वापसी योग्य आयकर 31/3/11		8,99,51,264	51,48,14,555
वापसी योग्य आयकर 31/3/12		1,38,88,000	-
वापसी योग्य आयकर 31/3/13		13,25,69,729	23,74,29,329
वापसी योग्य आयकर 31/3/14		-	1,43,95,52,963
वापसी योग्य आयकर 31/3/15		43,95,61,396	43,95,61,396
वापसी योग्य आयकर 31/3/16		20,61,75,313	43,66,85,299
वापसी योग्य आयकर 31/3/17		41,69,70,680	41,69,70,680
वापसी योग्य आयकर 31/3/18		50,98,47,499	50,98,47,499
प्रदत्त टीडीएस 31/3/19		69,06,66,009	-
	(क)	**2,89,82,37,921**	**5,67,25,80,190**
घटाएँ:			
कर के लिए प्रावधान 31/03/10		-	1,11,17,62,998
	(ख)	-	**1,11,17,62,998**
कर प्राधिकरणों से प्राप्य राशि	(क)-(ख)=	**2,89,82,37,921**	**4,56,08,17,192**

सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्रेडिट गारंटी निधि ट्रस्ट

आय और व्यय के भाग के रूप में अनुसूचियाँ

31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष हेतु

विवरण	यथा 31-03-19	यथा 31-03-18
	₹	₹
अनुसूची: 8		
परिचालन और अन्य प्रशासनिक व्यय		
एसीएसआईसी व्यय	51,79,892	-
विज्ञापन और प्रचार व्यय	15,70,529	-
लेखापरीक्षकों का पारिश्रमिक	3,35,000	3,35,000
आवागमन और वाहन पर व्यय	5,23,026	4,67,825
कूरियर/डाक प्रभार	36,878	66,590
बिजली संबंधी व्यय	1,93,300	11,07,400
बीमा प्रभार	60,874	46,919
आंतरिक लेखापरीक्षकों का पारिश्रमिक	2,80,000	2,85,000
आई टी सेवा	2,13,28,000	1,26,34,473
सदस्यता शुल्क	-	1,00,000
विविध व्यय	12,42,829	8,84,812
परिसर रखरखाव व्यय	-	1,71,456
कार्यालय व्यय	10,40,771	27,35,064
कार्यालय का किराया	1,56,70,580	1,55,18,036
कार्मिकों पर लागत और व्यय	4,50,47,443	3,80,04,631
मुद्रण और लेखन-सामग्री	4,41,240	5,93,244
अधिवक्ता शुल्क	1,40,176	2,48,000
व्यवसायिक शुल्क	37,10,084	27,43,333
सुरक्षा व्यय	55,454	3,15,290
दूरभाष व्यय	83,654	2,50,430
यात्रा संबंधी व्यय	9,15,780	5,38,670
	9,78,55,510	**7,70,46,173**

सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्रेडिट गारंटी निधि ट्रस्ट

आय और व्यय के भाग के रूप में अनुसूचियाँ

31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष हेतु

विवरण	यथा 31-03-19	यथा 31-03-18
	₹	₹
सूची 1: कार्मिक व्यय		
कर्मचारियों (सिडबी) को वेतन और भत्ते	2,87,28,058	1,61,14,660
संविदा कर्मचारियों को वेतन और भत्ते	1,51,32,806	2,06,71,509
कूपन खर्च (सोडेक्सो)	11,86,579	12,18,462
	4,50,47,443	**3,80,04,631**
सूची 2: विविध व्यय		
ब्याज का भुगतान	-	1,948
अपील शुल्क	3,000	1,000
मरम्मत और रखरखाव	1,39,940	82,344
अचल परिसंपत्ति की बिक्री पर हानि	2,21,722	-
स्टाफ कल्याण	28,846	4,45,510
स्वच्छ भारत उपकर	-	64,047
विविध व्यय	8,49,321	2,89,963
	12,42,829	**8,84,812**
सूची 3: मुद्रण और स्टेशनरी		
मुद्रण खर्च	2,05,960	2,64,400
स्टेशनरी और कंप्यूटर उपभोग्य सूची	2,35,280	3,28,844
	4,41,240	**5,93,244**
सूची 4: विविध आय		
विविध प्राप्तियां	50,196	2,472
विविध आय	20,377	24,31,867
पंजीकरण, निविदा और खोज शुल्क	15,53,143	5,934
सेवा में देरी के लिए जुर्माना (संविदात्मक)	-	2,47,790
अचल परिसम्पत्ति की बिक्री पर लाभ	-	34,500
	16,23,716	**27,22,563**
सूची-5: व्यय के प्रति बकाया देयताएं		
अग्रवाल एंड फ्रेंड्स कंपनी	69,447	-
ए.पी. सैंजगिरी एंड कंपनी	32,817	-
भारती एयरटेल एंड कंपनी	1,97,100	-
बी रतन एंड एसोसिएट्स	8,776	-
चतुर्वेदी एंड कंपनी	30,145	-
चेतन टी शाह एंड कंपनी	1,53,363	-
कॉन्वेंट टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड	10,800	-
सीवीएस बालचंद्र राव एंड कंपनी	8,777	-
ग्लोबलकॉम आईडीसी लिमिटेड	8,90,852	-
जैन त्रिपाठी एंड कंपनी	3,01,500	3,01,500
जेसीआर एंड कंपनी	13,737	-
खंडेलवाल जैन एंड कंपनी	4,05,000	9,78,209
कीर्ति स्टेशनरी एंड प्रिंटर्स	36,178	-
कोचर एंड एसोसिएट्स	63,000	-
के. एस. सांघवी एंड कंपनी	4,500	68,625
क्योसेरा दस्तावेज साल्यूशन इंण्डिया प्रा. लि	2,387	-
एम एम निसिम एंड कंपनी	24,803	-

सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्रेडिट गारंटी निधि ट्रस्ट

आय और व्यय के भाग के रूप में अनुसूचियाँ

31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष हेतु

विवरण	यथा 31-03-19	यथा 31-03-18
	₹	₹
ओरिएंट टेक्नोलॉजीज	1,58,127	1,99,707
पाथ इंफोटेक	29,21,051	23,84,063
रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड	2,83,811	4,74,696
श्यामलाल दाधीच एंड एसोसिएट्स	2,35,811	-
सिडबी	21,88,028	23,87,452
एस. के. बसु एंड कंपनी	23,850	-
सुमत गुप्ता एंड कंपनी	19,461	-
प्रोफेशनल कूरियर	1,237	4,839
टी एंड एम सर्विसेज कॉन प्राइवेट लि.	6,39,094	7,06,109
ईएसडीएस	-	34,662
के. ए. पंडित	-	31,500
संविदा कर्मचारियों को वेतन	-	5,98,152
बकाया देनदारियां	63,715	2,61,717
आईआईडीएल रियल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड	-	14,53,140
कम्पेयरेक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	-	8,01,514
विज्ञापन एवं उत्प्रेरण	-	3,57,696
	87,87,367	**1,10,43,581**

तुलनपत्र एवं आय और व्यय लेखे के भाग की अनुसूचीः

अनुसूची: 9 लेखा टिप्पणियाँ:

1. **महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ**

क) **लेखांकन व्यवहार**

ऐतिहासिक लागत लेखांकन विधि सहित सामान्यत: स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए वित्तीय विवरणियाँ तैयार की गई हैं।

ख) **आय और व्यय का निर्धारण**

ट्रस्ट, लेखांकन में व्यापारिक आधार का अनुपालन करता है, जब तक कि अन्यथा उल्लेख न किया गया हो।

ट्रस्ट की आय के प्रमुख स्रोतों का निर्धारण इस प्रकार है:

गारंटी शुल्क

संबंधित सदस्य ऋणदात्री संस्थाओं से भुगतान प्राप्त होने और बैंक खाते में जमा होने के पश्चात ही इसे गारंटी शुल्क से आय के रूप में निर्धारित किया जाता है।

मियादी जमाराशियों पर ब्याज आय

मियादी जमाराशियों पर ब्याज आय का निर्धारण उपचय आधार पर किया जाता है।

भुगतान किये गये दावों पर सदस्य ऋणदात्री संस्थाओं से वसूली

सदस्य ऋणदात्री संस्थाओं से की गई वसूली पर आय को तब मान्यता दी जाती है, जब राशि की वसूली हो जाती है।

म्युचुअल फंड से आय

म्युचुअल फंड की यूनिटों के मोचन के समय पूंजीगत लाभ के परिकलन के प्रयोजन से म्युचुअल फंड की लागत की गणना भारित औसत आधार पर की जाती है। लाभ का निर्धारण मोचन पर किया जाता है।

ग) **अचल परिसंपत्तियां**

वित्तीय विवरणियों में अचल परिसम्पत्तियों का निर्धारण लागत पर किया गया है। लागत में खरीद, भाड़ा, परिवहन और उसे वर्तमान स्थान तथा स्थिति में लाने पर हुई अन्य लागत शामिल हैं।

अचल परिसम्पत्तियों पर मूल्यह्रास कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत निर्धारित किये गये अनुसार अनुमानित उपयोग अवधि के आधार पर सीधी रेखा पद्धति के अनुसार प्रभारित किया गया है।

घ) **निवेश**

न्यास के निवेशों में बैंकों/वित्तीय संस्थानों में सावधि जमा और म्युचुअल फंड में निवेश शामिल है।

म्युचुअल फंड में निवेश भारित औसत लागत में से वर्ष के दौरान हुई हानि, यदि कोई हो, को घटाकर या बाजार मूल्य, जो भी कम हो, पर वर्णित की गई है। मियादी जमा राशियों में निवेश, अपने लागत तथा उस पर उपचित ब्याज के साथ वर्णित है। विकास आयुक्त (हथकरघा) और विकास आयुक्त (हस्तशिल्प), भारत सरकार के कार्यालयों से प्राप्त निधियों में निवेश तुलनपत्र में अलग से दर्शाए गए हैं।

च) **सेवानिवृत्ति लाभ**

इस ट्रस्ट में प्रतिनियुक्ति पर आए सिडबी के कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति का लाभ सिडबी द्वारा प्रदान किया जाता है और इसे वार्षिक रूप से प्रतिपूर्ति आधार पर राजस्व खाते में प्रभारित किया जाता है।

2. (₹ करोड़)

विवरण	यथा 31-03-19	यथा 31-03-18
गारंटी का अनुमोदन	1,75,961	1,46,828
जारी गारंटी	1,75,801	1,35,587
स्वीकृत, गारंटी परंतु लंबित निष्पादन	160	11,241
बकाया गारंटी	74,330	70,310
बकाया गारंटी से सीजीटीएमएसई की समग्र देयता	55,526	50,660
प्रथम दावे की किस्त के प्रति सीजीटीएमएसई की देयता	41,644	37,995

ट्रस्ट द्वारा रोके गए दावों के प्रति किए गए प्रावधान के अलावा एमएसई के गैर निष्पादक होने की स्थिति में उसके प्रति दी गई गारंटी की आकस्मिकता के लिए ट्रस्ट उत्तरदायी है, जिसकी प्रतिभूति स्वरूप ऐसी गारंटी दी जाती है/मंजूर की जाती है।

3. ट्रस्ट स्टाफ की सुविधाएँ सिडबी से प्राप्त कर रहा है। 4 अक्टूबर, 2001 को सिडबी और ट्रस्ट के बीच हुए समझौता ज्ञापन के अनुसार जुलाई, 2009 तक ट्रस्ट के कार्यों के लिए सिडबी द्वारा सीधे किए गए प्रशासनिक व्यय के लिए ट्रस्ट ने 20 प्रतिशत की दर से सेवा शुल्क का भुगतान किया है। यद्यपि, किए गए आपसी निर्णय के अनुसार अगस्त 2009 से इसे बंद कर दिया गया है।

4. ट्रस्ट पहली बार में दावा राशि का 75% भुगतान करता है, वसूली की कार्यवाही के समापन के बाद शेष राशि का भुगतान किया जाता है। 2596 मामलों (गत वर्ष में 2297 मामलों) में, 25% बची हुई राशि का भुगतान किया गया है। तथापि, अन्य मामलों में, सदस्य ऋणदात्री संस्थाओं को अभी तक वसूली कार्यवाही के निष्कर्ष की स्थिति के बारे में रिपोर्ट देना बाकी है, जिससे वे शेष रकम प्राप्त करने के लिए पात्र बनते हैं। इसके अलावा, परिपत्र संख्या -138/2017-18 के माध्यम से, ट्रस्ट ने सदस्य ऋणदात्री संस्थाओं (एमएलआई) द्वारा विप्रेषित शुल्क और वसूली के आधार पर कुल दावा निपटान (यानी दावे की पहली और दूसरी किस्तों का निपटान) के लिए अंतिम सीमा शुरू की है। संबंधित सदस्य ऋणदात्री संस्थाओं (एमएलआई) के दावों का निपटारा पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान विप्रेषित वसूली सहित शुल्क के दोगुने राशि तक किया जाएगा।

5. लेखापरीक्षक का गत वर्ष में पारिश्रमिक ₹3,35,000/- है। शुल्क में कर शामिल नहीं है।

(राशि ₹ में)

विवरण	वर्तमान वर्ष	विगत वर्ष
लेखापरीक्षा शुल्क	2,75,000	2,75,000
कर लेखापरीक्षा शुल्क	60,000	60,000
कुल	**3,35,000**	**3,35,000**

6. **कराधान**

6.1 **प्रत्यक्ष कराधान**

ट्रस्ट को वित्त अधिनियम 2002 द्वारा 01.04.2002 से आयकर अधिनियम, 1961 ("अधिनियम") के तहत धारा 10 (23EB) में अधिसूचित किया गया था और तदनुसार ट्रस्ट की आय को निर्धारण वर्ष 2002-03 से आरम्भ करके निर्धारण वर्ष 2006-07 तक पांच वर्षों की अवधि के लिए अधिनियम की धारा 10 (23EB) के तहत छूट दी गई थी।

ट्रस्ट को आयकर अधिनियम 1961 की धारा 12ए के तहत पंजीकृत किया गया था और तदनुसार ट्रस्ट ने निर्धारण वर्ष 2007-08 और निर्धारण वर्ष 2008-09 के लिए अधिनियम की धारा 11 के तहत छूट का दावा किया था। प्रासंगिक निर्धारण वर्षों के लिए कर से छूट का दावा करते हुए, ट्रस्ट ने अधिनियम की धारा 11 (2) के प्रावधानों के तहत ट्रस्ट के उद्देश्यों पर खर्च करने के लिए अपनी आय का 85% संचय किया था।

वित्त अधिनियम 2008 में 01.04.2008 अर्थात निर्धारण वर्ष 2009-2010 से धारा 2 (15) में संशोधन किया था। तदनुसार, ट्रस्ट ने निर्धारण वर्ष 2009-2010 के बाद से धारा 11 के तहत लाभ का दावा नहीं किया था। तथापि, ट्रस्ट ने निर्धारण कार्यवाही के दौरान अधिनियम की धारा 11 (1) (ए) के तहत 15% की कटौती का दावा किया है।

आयकर निदेशक (छूट) – [डीआईटी(ई)] ने दिनांक 07-12-2011 के आदेश के माध्यम से माना था कि निर्धारिती ट्रस्ट द्वारा की गई गतिविधियों का स्वरूप व्यापार, वाणिज्य या व्यवसाय हैं और अधिनियम की धारा 2(15) के संशोधित प्रावधानों का उल्लेख करते हुए, निर्धारण वर्ष 2009-10 से ट्रस्ट को दिए गए पंजीकरण को रद्द कर दिया है। ट्रस्ट ने इस आदेश के खिलाफ आयकर अपीलकर्ता न्यायाधिकरण (आईटीएटी) के समक्ष अपील की थी और 28.05.2014 के आदेश के माध्यम से ट्रस्ट के पक्ष में निर्णय किया गया था और आयकर अधिनियम की धारा 12ए के तहत ट्रस्ट के पंजीकरण को बहाल कर दिया गया था। आईटीएटी के उक्त आदेश के विरुद्ध विभाग ने मुंबई स्थित उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका दायर की थी जिसे दिनांक 02.08.2017 के आदेश के माध्यम से खारिज कर दिया गया था। इस प्रकार आयकर अधिनियम 12ए/12एए के तहत ट्रस्ट का पंजीकरण जारी है।

निर्धारण, माँगों और अपीलों की स्थिति का वर्षवार विवरण इस प्रकार हैं:

क) निर्धारण वर्ष 2009-10 की निर्धारण कार्यवाहियों को अंतिम रूप देते समय, निर्धारण अधिकारी (ए.ओ.) ने धारा 143(3) के तहत एक आदेश पारित किया था जिसमें उन्होंने निर्धारण कार्यवाहियों के दौरान अधिनियम की धारा 11(1)(ए) के अंतर्गत 15 प्रतिशत की कटौती के दावे को रद्द कर दिया था। इस आदेश के विरुद्ध ट्रस्ट ने सीआईटी (ए) के समक्ष अपील दायर की है और वह निपटान के लिए लंबित है। इस वर्ष के लिए कोई माँग बकाया नहीं है।

ख) निर्धारण वर्ष 2010-11 के लिए निर्धारण कार्यवाहियों को अंतिम रूप देते समय निर्धारण अधिकारी ने क्रमश: निर्धारण वर्ष 2007-08 और निर्धारण वर्ष 2008-09 के दौरान धारा 11(2) के अंतर्गत संचयी राशि के तौर पर ₹94,38,84,008/- और ₹154,61,77,037/- के संयोजन का प्रावधान किया था और ट्रस्ट के अवस्थापक नामतः एमएसएमई मंत्रालय, भारत सरकार और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक से प्राप्त समूह निधि के प्रति ₹166,41,00,000/- को जोड़ा था। निर्धारण वर्ष 2009-10 से डीआईटी(ई), मुम्बई द्वारा धारा 12(ए) के तहत ट्रस्ट का पंजीकरण रद्द कर दिया गया था अत: अधिनियम की धारा 11 के तहत ट्रस्ट कोई भी लाभ पाने के लिए पात्र नहीं थी। कथित संयोजन के खिलाफ, ट्रस्ट ने आयकर आयुक्त (अपील) के समक्ष एक याचिका दाखिल की थी जिसे दिनांक 28.07.2014 के अपने आदेश के माध्यम से बहाल रखा गया। तथापि दिनांक 20.01.2017 के अपने आदेश के माध्यम से माननीय आईटीएटी ने ट्रस्ट को अधिनियम की धारा 11 एवं 12 के तहत छूट के दावे की अनुमति दी थी। माननीय आईटीएटी ने यह भी कहा है कि जैसा कि अधिनियम की धारा 11 एवं 12 के अंतर्गत निर्धारिती को लाभों के दावे करने की अनुमति दी है, इसलिए निर्धारिती समूह निधि के प्रति अवस्थापकों द्वारा किये गये अंशदान के संयोजन करने में सक्षम है। उपर्युक्त आईटीएटी आदेश के खिलाफ विभाग ने मुंबई उच्च न्यायालय में एक याचिका दाखिल की है, जिसका निपटान लंबित है। उसके बाद आईटीएटी के दिनांक 25.07.2017 के आदेश को प्रभावी मानते हुए दिनांक 09.08.2017 को आदेश प्राप्त हुआ है। ट्रस्ट से अन्य वर्षों के लिए किए गए मांग राशियों को समायोजित करने के बाद दिनांक 11.04.2018 के मांग ड्राफ्ट के माध्यम से ₹16,73,47,440 की राशि प्राप्त हुई है। ट्रस्ट ने अधिनियम की धारा 244 ए के तहत ब्याज सहित शेष वापसी राशि जारी करने के लिए दिनांक 13.02.2019 को पत्र दाखिल किया है जिस पर कार्यवाही चल रही है।

ग) निर्धारण वर्ष 2011-12 के लिए निर्धारण कार्यवाहियों को अंतिम रूप देते समय, निर्धारण अधिकारी ने धारा 143(3) के अंतर्गत जारी आदेश में वर्ष के दौरान ट्रस्ट के अवस्थापकों से समूह निधि के प्रति अंशदानों के रूप में ₹2,50,00,00,000/- की राशि भी जोड़ी है, जिसे इस अधिनियम की धारा 2(24) (iia) के अंतर्गत स्वैच्छिक अंशदान के रूप में आय माना गया है और तद्नुसार ₹102,96,29,110/- की मांग की गई है। इस राशि को जोड़ें जाने के खिलाफ ट्रस्ट ने सीआईटी(ए) के समक्ष अपील दायर की थी जिसे माननीय सीआईटी (ए) ने निर्धारण वर्ष 2010-11 के सीआईटी (ए) के आदेश के मद्देनजर अपील को खारिज कर दिया। ट्रस्ट ने माँगी गई राशि ₹102,96,29,110 में से 31.03.2015 तक किस्तों में ₹51,48,14,555/- का भुगतान कर दिया था। सीआईटी(ए) के आदेश से अपकृत हो कर ट्रस्ट ने माननीय आईटीएटी के समक्ष अपील दायर की। दिनांक 26.02.2018 को माननीय आईटीएटी ने निर्धारिती ट्रस्ट के मामलों में निर्धारण वर्ष 2010-11 के आदेश का पालन कर के अपील की अनुमति दी। इसके बाद आईटीएटी के आदेश को लागू करते हुए दिनांक 07.08.2018 का आदेश 20.02.2019 को प्राप्त हुआ है और ट्रस्ट को अन्य निर्धारण वर्षों के लिए कुछ मांगों के समायोजन के बाद 05.09.2018 के मांग ड्रॉफ्ट के माध्यम से

₹1,40,99,80,850/- वापस प्राप्त हुए है। तथापि, निर्धारण अधिकारी ने 07.08.2018 के आदेश में अधिनियम की धारा 11(1)(ए) के तहत 15% की कटौती के लिए मंजूरी नहीं प्रदान की। ट्रस्ट ने 13.03.2019 कोलिखे पत्र के माध्यम से निर्धारण अधिकारी से शुद्धि आदेश जारी करने का अनुरोध किया था। इस संबंध में ट्रस्ट ने भी 15.03.2019 को सीआईटी (ए) के समक्ष अपील दायर की है जो निपटान के लिए अभी लंबित है।

निर्धारण अधिकारी ने अधिनियम की धारा 271(1)(सी) के तहत आदेश पारित करके ₹77,25,00,000/- का जुर्माना भी लगाया था और निर्धारण वर्ष 2010-11 के लिए वापस की जाने वाली राशि में से माँगी गई उक्त दंडराशि को समायोजित कर दिया था। उक्त आदेश के खिलाफ, ट्रस्ट ने सीआईटी(ए) के समक्षअपील दायर की थी और माननीय सीआईटी(ए) ने 01.03.2019 के आदेश के माध्यम से ट्रस्ट के पक्ष में अपील का निपटारा किया था और ₹77,25,00,000/- के उक्त दंड को हटा दिया था। ट्रस्ट ने 11.05.2019 को लिखे पत्र के माध्यम से प्रबुद्ध कर-निर्धारण अधिकारी से सीआईटी(ए) के आदेश को लागु करनेऔर वापसी राशि जारी करने का अनुरोध किया है।

घ) निर्धारण वर्ष 2012-13 के लिए निर्धारण कार्यवाहियों को अंतिम रूप देते समय, निर्धारण अधिकारी ने वर्ष के दौरान ट्रस्ट के अवस्थापकों से समूह निधि के प्रति अंशदान राशियों के रूप में प्राप्त ₹2,22,50,000/- की अतिरिक्त राशि भी जोड़ी है, जिसे इस अधिनियम की धारा 2(24)(iia) के तहत स्वैच्छिक अंशदान के रूप में आय माना गया है और इस कारण से ₹10,40,35,270/- की माँग की गई थी और इसे अधिनियम की धारा 154 के अंतर्गत दिनांक 13.10.2015 के माध्यम से पारित अपने आदेश के माध्यम से ₹10,40,35,270/- की मांग को संशोधित करके ₹69,44,000/- किया था। उपर्युक्त संयोजन के खिलाफ ट्रस्ट ने सीआईटी(ए) के समक्ष एक अपील दाखिल की है जिस पर विभिन्न तारीखों को सुनवाई की गई है जिसका निपटान लंबित है।

ङ) निर्धारण वर्ष 2013-14 के लिए निर्धारण कार्यवाहियों को अंतिम रूप देते समय, निर्धारण अधिकारी ने वर्ष के दौरान ट्रस्ट के अवस्थापकों से समूह निधि के प्रति अंशदान राशियों के रूप में प्राप्त ₹42,77,50,000/- की अतिरिक्त राशि भी जोड़ी है, जिसे इस अधिनियम 1961 की धारा 2(24) (iia) के अंतर्गत स्वैच्छिक अंशदान के रूप में आय माना गया है और ₹10,48,59,600/- की वापसी निर्धारित की गई जिसे निर्धारण वर्ष 2011-12 की मांग राशि के प्रति समायोजित किया गया है। इस अतिरिक्त दावे के खिलाफ ट्रस्ट ने सीआईटी(ए) में अपील दाखिल की है, जिसका निपटान लंबित है।

च) निर्धारण वर्ष 2014-15 के लिए निर्धारण कार्यवाहियों को अंतिम रूप देते समय, निर्धारण अधिकारी ने वर्ष के दौरान ट्रस्ट के अवस्थापकों से समूह निधि के प्रति अंशदान राशियों के रूप में प्राप्त ₹93,73,75,000/- की अतिरिक्त राशि भी जोड़ी है, जिसे इस अधिनियम की धारा 2(24)((iia) के अंतर्गत स्वैच्छिक अंशदान के रूप में आय माना गया है और ₹52,17,58,560/- की धन वापसी निर्धारित की गई है। इसके अलावा प्रबुद्ध निर्धारण अधिकारी ने विवरणी में दर्शाई गई हानि राशि रु55,02,16,378/- के घाटे को शुन्य माना है। उक्त आदेश के खिलाफ ट्रस्ट ने सीआईटी(ए) के समक्ष अपील दायर की थी, जिसने 27.12.2017 के आदेश के माध्यम से निर्धारिती ट्रस्ट को अपील करने की अनुमति दी थी, उसके बाद में सीआईटी(ए) के आदेशको लागू करने के लिए ए.ओ. द्वाराआदेश पारित किया गया जिसमें उन्होंने घाटे के दावे को आगे ले जाने की अनुमति नहीं दी। निर्धारण अधिकारी के उक्त आदेश के विरुद्ध ट्रस्ट ने सीआईटी(ए) के समक्ष अपील की है जो निपटान के लिए लंबित है। ट्रस्ट को 13.04.2018 की मांग डॉफ्ट के माध्यम से ₹1,22,87,44,100/- की राशि वापस मिली है। आयकर विभाग ने सीआईटी (ए) के आदेश के खिलाफ माननीय आईटीएटी के समक्ष अपील की है जो निपटान के लिए लंबित है।

छ) निर्धारण वर्ष 2015-16 के लिए निर्धारण कार्यवाहियों को अंतिम रूप देते समय, निर्धारण अधिकारी ने वर्ष के दौरान ट्रस्ट के अवस्थापकों से समूह निधि के प्रति अंशदानों के रूप में प्राप्त ₹93,73,75,000/- की अतिरिक्त राशि भी जोड़ी है, जिसे अधिनियम, 1961 की धारा 2(24) (iia) के अंतर्गत स्वैच्छिक अंशदान के रूप में आय माना गया है। इसके अलावा प्रबुद्ध निर्धारण अधिकारी ने ₹179,15,20,936/- की रिटर्न हानि के अधीन ₹ शून्य की रिटर्न आय माना है। उक्त आदेश के खिलाफ ट्रस्ट ने सीआईटी (ए) के समक्ष अपील दायर की है, जिसका निपटान लंबित है। निर्धारण अधिकारी ने ₹11,02,47,956/- के स्रोत पर कर कटौती को खाते में जमा नहीं किया है दिनांक 15.01.2018 को इसे ठीक करने के लिए आवेदन दायर किया गया है जो निपटान के लिए लंबित है।

ज) निर्धारण वर्ष 2016-17 के लिए निर्धारण कार्यवाहियों को अंतिम रूप देते समय, निर्धारण अधिकारी ने वर्ष के दौरान ट्रस्ट के अवस्थापकों से समूह निधि के प्रति अंशदानों के रूप में प्राप्त ₹42,48,75,000/- की अतिरिक्त राशि भी

जोड़ी है, जिसे अधिनियम, 1961 की धारा 2(24) (iia) के अंतर्गत स्वैच्छिक अंशदान के रूप में आय माना गया है। इसके अलावा प्रबुद्ध निर्धारण अधिकारी ने धारा 11(1)(ए) के तहत 15% की कटौती की अनुमति प्रदान नहीं की है और ₹7,94,59,946/- की राशि के बजाय ₹50,43,34,946/- की राशि को विवरणी की आय के रूप में स्वीकर किया है। उक्त आदेश के विरुद्ध ट्रस्ट ने सीआईटी (ए) के समक्ष अपील दायर की है, जिसका निपटान लंबित है। दिनांक 07.06.2018 के मांग ड्राफ्ट के माध्यम से ट्रस्ट को ₹17,18,41,511/- की राशि वापस मिली है। निर्धारण अधिकारी ने ₹20,36,78,121/- की वापसी की अनुमति नहीं दी है जिसे ठीक करने के लिए आवेदन दायर किया गया है और यह निपटान के लिए लंबित है।

झ) ट्रस्ट ने निर्धारण वर्ष 2017-18 एवं निर्धारण वर्ष 2018-19 के लिए क्रमश: ₹42,81,83,077/- और ₹50,98,47,499/- की वापसी का दावा करते हुये आय विवरणी दाखिल की है। इन वर्षों के लिए निर्धारण लंबित है।

6.2 अप्रत्यक्ष कराधान

क) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, इंटेलीजेंस महानिदेशालय, चेन्नई ने 14.10.2014 को कारण बताओ नोटिस के द्वारा ट्रस्ट से सवाल किया है कि उसे प्राप्त होने वाले गारंटी शुल्क और वार्षिक सेवा शुल्क को 'व्यापार या वाणिज्य हेतु समर्थन सेवा' क्यों न माना जाए। वित्त अधिनियम 1994 की धारा 65(104सी) जिसे धारा 65(105)(जेडजेडजेडक्यू) के साथ पढ़ा जाना चाहिए, के अंतर्गत ₹79,68,11,936/- का दावा और आकलन वर्ष 2009-10 से 30 जून, 2012 तक की अवधि हेतु धारा 75 के अंतर्गत ब्याज तथा धारा 76, 77 एवं 78 के अंतर्गत अर्थ दंड क्यों नहीं लगाया जाना चाहिए। कारण बताओ नोटिस के जवाब में ट्रस्ट ने 17.12.2014 को अपना पक्ष प्रस्तुत किया और 17.04.2015 और 06.12.2018 को व्यक्तिगत सुनवाई में उपस्थिति दर्ज की गई। इस संबंध में कोई आदेश प्राप्त नहीं हुआ है।

ख) सेवा कर नियम, 1994 के नियम 5ए के तहत वित्तीय वर्ष 2010-11 से 2014-15 तक की अवधि के लिए कर निर्धारित ट्रस्ट को सांविधिक लेखापरीक्षा के लिए चुना गया है। लेखा परीक्षा टिप्पणियों के आधार पर सहायक आयुक्त, सेवा कर, मुम्बई ने 18.04.2016 को कारण बताओ नोटिस जारी किया है और ट्रस्ट से निम्नलिखित स्पष्टीकरण मांगें हैं:

1. सिडबी से स्टॉफ की प्रतिनियुक्ति को व्यापार समर्थन सेवा गतिविधि के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाना चाहिए और धारा 75 के अंतर्गत ₹52,156/- का सेवा कर ब्याज सहित दावा नहीं किया जाना चाहिए और उसकी वसूली भी नहीं होनी चाहिए;
2. विकास आयुक्त से प्राप्त अप्रयुक्त अग्रिमों के अंश पर धारा 75 के अंतर्गत ब्याज सहित सेवा कर के रूप में ₹1,74,760/- की मांग और वसूली नहीं की जानी चाहिए।
3. वित्त अधिनियम 1994 की धारा 75 के अंतर्गत अग्रिमों के समायोजित अंश पर विलंबित सेवा कर के प्रति विकास आयुक्त से प्राप्त राशि की मांग और वसूली नहीं की जानी चाहिए।
4. धारा 76 के अंतर्गत निर्धारित समय के भीतर सेवा कर की अदायगी में चूक और धारा 78 के अंतर्गत सेवा कर से बचने हेतु करयोग्य गतिविधियों और करयोग्य सेवाओं की सही प्रकृति और मूल्य को दबाना व गलत घोषणा करने पर देय दंड राशि की मांग और वसूली नहीं की जानी चाहिए।

इस मामले में कर निर्धारिती न्यास ने पिछला उत्तर 23.08.2016 को प्रस्तुत किया था। इस संबंध में कोई भी आदेश/संप्रेषण अब तक प्राप्त नहीं हुआ है। तत्पश्चात, सेवा कर उपायुक्त ने दिनांक 24.03.2017 के पत्र के माध्यम से स्पष्टीकरण मांगा है कि क्या इसमें ऊपर खण्ड (ख) के उप-खण्ड (1) और (2) के अंतर्गत उल्लिखित बिंदुओं के संबंध में 2015 के बाद समान कार्यप्रणाली जारी रखी गई है। इसके प्रति उत्तर के रूप में न्यास ने दिनांक 18.04.2017 के माध्यम से उत्तर प्रस्तुत किया है।

ग) जम्मू और कश्मीर में स्थित सदस्य ऋणदात्री संस्थाओं को जुलाई 2012 से जून 2014 की अवधि के लिए दी जाने वाली सेवाओं पर अदा किए गए सेवा कर ₹1,07,71,826/- की वापसी के दावे के संबंध में दायर अपील के जवाब में, आयुक्त (अपील) ने अपने दिनांकित 28.08.2018 के आदेश से उक्त दावे को इस निदेश के साथ कि वापसी के अपने दावे की पुष्टि के लिए सीजीटीएमएसई द्वारा प्रस्तुत सभी संबंधित दस्तावेजों को सत्यापित कर, मूल प्राधिकरण को वापस भेज दिया है। आज तक इस संबंध में सहायक आयुक्त (रिफंड -II), सेवा कर - IV, मुंबई से कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

घ) 02.04.18 के आवेदन द्वारा ₹7,54,06,280/- की वापसी का दावा किया जा रहा है जोकि डीएएन के आधार पर अग्रिम रूप में सेवा कर और उपकर के लिए भुगतान किया गया था जिसके लिए अंततः कोई गारंटी सेवाएं प्रदान नहीं की गई हैं और जिसे देय सेवा कर से समायोजित नहीं किया जा सकता है। उक्त आवेदन को 07.12.2018 के आदेश से अस्वीकृत कर दिया गया। इसके विरुद्ध ट्रस्ट ने 07.02.2019 को माननीय सेवा कर (अपील) - II, मुंबई के पास अपील दायर की है। इस मामले की सुनवाई होनी बाकी है।

7. ट्रस्ट ने ऋणों में चूक के कारण अनुमानित परिव्यय की बीमांकक मूल्यांकन रिपोर्ट प्राप्त कर ली है।

तद्नुसार, अपनी रिपोर्ट में बीमांकक द्वारा सुझाया गया अतिरिक्त प्रावधान यथा 31.03.2019 को ₹1,607.58 करोड़ है। ऐसे दावों के लिए प्रावधान का विवरण नीचे दिया गया है:

(राशि ₹ में)

विवरण	वर्तमान वर्ष	विगत वर्ष
1 अप्रैल को प्रारंभिक शेष राशि	21,45,49,48,313	17,98,45,15,536
घटाएँ: वर्ष के दौरान भुगतान किए गए दावे	8,16,55,55,066	9,67,79,67,223
जोड़े: वर्ष के दौरान किया गया प्रावधान	16,07,58,00,000	13,14,84,00,000
31 मार्च को अंतिम शेष	**29,36,51,93,247**	**21,45,49,48,313**

8. जहां कहीं आवश्यक हुआ, विगत वर्ष के आंकड़ों को पुनः समूहित, पुनः वर्गीकृत और पुनः व्यवस्थित किया गया है।

कृते जैन त्रिपाठी एंड कं.
सनदी लेखाकार
फर्म रजि.सं.103979डब्ल्यू

(डी.पी. त्रिपाठी)
साझेदार
सदस्यता सं. 013593

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 11.06.2019

न्यासी मंडल की ओर से

हस्ता/-
(मोहम्मद मुस्तफ़ा, आई.ए.एस.)
अध्यक्ष

हस्ता/-
(राम मोहन मिश्रा, आई.ए.एस.)
उपाध्यक्ष

हस्ता/-
(एस.एन.सिंह)
सदस्य सचिव

नोट्स

नोट्स

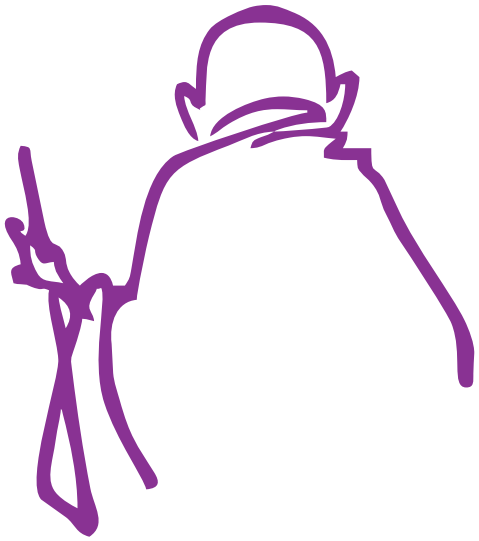

लघु उद्योग क्षेत्र के लिए
महात्मा गाँधी का सपना
साकार करने की दिशा में अग्रसर

सीजीटीएमएसई का पंजीकृत कार्यालय
स्वावलंबन भवन, सिडबी, 7 वां तल, सी-11, जी ब्लाक,
बांद्रा कुर्ला काम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051.
फोनः +91-22-67221553 टोल फ्रीः 1800 222 659
www.cgtmse.in https://www.facebook.com/CGTMSEOfficial
https://twitter.com/CGTMSEOfficial CGTMSE Youtube Channel

Concept, Content & Design WYATTPrism COMMUNICATIONS (info@wyatt.co.in)